रजिस्ट्री सं० डी--(डीएन)--128/89

REGISTERED No. D--(DN)--128/89

भारत का राजपत्र

The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 21] नई दिल्ली, शनिवार, मई 27, 1989 (ज्येष्ठ 6, 1911)

No. 21] NEW DELHI, SATURDAY, MAY 27, 1989 (JYAISTHA 6, 1911)

(इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके)

(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

विषय-सूची

	पृष्ठ
भाग I—खण्ड I—रक्षा मंत्रालय को छोड़कर भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों, संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं	435
भाग I—खण्ड 2—(रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	509
भाग I—खण्ड 3—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए संकल्पों और असांविधिक आदेशों के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं .	
भाग I—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अधिकारियों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों, छुट्टियों आदि के सम्बन्ध में अधिसूचनाएं . .	731
भाग II—खण्ड 1—अधिनियम, अध्यादेश और विनियम	
भाग II—खण्ड 1-क—अधिनियमों, अध्यादेशों और विनियमों का हिन्दी भाषा में प्राधिकृत पाठ	
भाग II—खण्ड 2—विधेयक तथा विधेयकों पर प्रवर समितियों के बिल तथा रिपोर्ट .	
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियम (जिनमें सामान्य स्वरूप के आदेश और उपविधियां आदि भी शामिल हैं)	
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)—भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सांविधिक आदेश और अधिसूचनाएं	
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (iii) भारत सरकार के मंत्रालयों (जिनमें रक्षा मंत्रालय भी शामिल है) और केन्द्रीय प्राधिकरणों (संघ शासित क्षेत्रों के प्रशासनों को छोड़कर) द्वारा जारी किए गए सामान्य सांविधिक नियमों और सांविधिक आदेशों (जिनमें सामान्य स्वरूप की उपविधियां भी शामिल हैं) के हिन्दी अधिकृत पाठ (ऐसे पाठों को छोड़कर जो भारत के राजपत्र के खण्ड 3 या खण्ड 4 में प्रकाशित होते हैं)	
भाग II—खण्ड 4—रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी किए गए सांविधिक नियम और आदेश	
भाग III—खण्ड 1—उच्च न्यायालयों, नियंत्रक और महालेखा परीक्षक, संघ लोक सेवा आयोग, रेल विभाग और भारत सरकार से संबद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	333
भाग III—खण्ड 2—पेटेन्ट कार्यालय द्वारा जारी की गई पेटेन्टों और डिजाइनों से संबंधित अधिसूचनाएं और नोटिस	407
भाग III—खण्ड 3—मुख्य आयुक्तों के प्राधिकार के अधीन अथवा द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं	
भाग III—खण्ड 4—विविध अधिसूचनाएं जिनमें सांविधिक निकायों द्वारा जारी की गई अधिसूचनाएं, आदेश, विज्ञापन और नोटिस शामिल हैं	559
भाग IV—गैर-सरकारी व्यक्तियों और गैर-सरकारी निकायों द्वारा जारी किए गए विज्ञापन और नोटिस . . .	65
भाग V—अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में जन्म और मृत्यु के आंकड़ों को दिखाने वाला अनुपूरक	

CONTENTS

	PAGE
PART I—SECTION 1—Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court.	435
PART I—SECTION 2—Notifications regarding Appointments, Promotions, leave etc. of Government Officers issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court	509
PART I—SECTION 3—Notifications relating to Resolutions and Non-Statutory Orders issued by the Ministry of Defence . . .	—
PART I—SECTION 4—Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by the Ministry of Defence	731
PART II—SECTION 1—Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 1-A—Authoritative texts in Hindi Language of Acts, Ordinances and Regulations	*
PART II—SECTION 2—Bills and Reports of the Select Committee on Bills . . .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (i)—General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws, etc. of general character) issued by the Ministries of the Government of India, (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (ii)—Statutory Orders and Notifications issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by Central Authorities (other than the Administration of Union Territories) .	*
PART II—SECTION 3—SUB-SEC. (iii)—Authoritative texts in Hindi (other than such texts, published in Section 3 or Section 4 of the Gazette of India) of General Statutory Rules & Statutory Orders (including Bye-laws of a general character) issued by the Ministries of the Government of India (including the Ministry of Defence) and by General Authorities (other than Administration of Union Territories) . . .	*
PART II—SECTION 4—Statutory Rules and Orders issued by the Ministry of Defence . .	*
PART III—SECTION 1—Notifications issued by the High Courts, the Comptroller and Auditor General, Union Public Service Commission, the Indian Government Railways and by Attached and Subordinate Offices of the Government of India	333
PART III—SECTION 2—Notifications and Notices issued by the Patent Office, relating to Patents and Designs	407
PART III—SECTION 3—Notifications issued by or under the authority of Chief Commissioners	
PART III—SECTION 4—Miscellaneous Notifications including Notifications, Orders, Advertisements and Notices issued by Statutory Bodies	559
PART IV—Advertisements and Notices issued by Private Individuals and Private Bodies .	65
PART V—Supplement showing Statistics of Births and Deaths etc. both in English and Hindi	*

*Folio Nos. not received

भाग I—खण्ड 1
[PART I--SECTION I]
(रक्षा मंत्रालय को छोड़ कर) भारत सरकार के मंत्रालयों और उच्चतम न्यायालय द्वारा जारी की गई विधितर नियमों, विनियमों तथा आदेशों और संकल्पों से संबंधित अधिसूचनाएं
[Notifications relating to Non-Statutory Rules, Regulations, Orders and Resolutions issued by the Ministries of the Government of India (other than the Ministry of Defence) and by the Supreme Court]

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)
लिपिक श्रेणी परीक्षा, 1989 के नियम
नई दिल्ली, दिनांक 21 मई 1989

सं० 9/2/89/के०से० (II)—कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सन् 1989 में निम्नलिखित सेवाओं/पदों (तथा उन अन्य सेवाओं/पदों के लिए, जो आयोग द्वारा परीक्षा के लिए आवेदन आमंत्रित करने वाले विज्ञापन में सम्मिलित किए जाएंगे) में अस्थायी रिक्तियों को भरने के लिए ली जाने वाली प्रतियोगितात्मक परीक्षाओं के नियम सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किए जाते हैं।

(i) भारतीय विदेश सेवा (ख) ग्रेड-II
(ii) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा ग्रेड-II
(iii) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा-अवर श्रेणी ग्रेड
(iv) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा-अवर श्रेणी ग्रेड
(v) भारत के निर्वाचन आयोग में निम्न श्रेणी लिपिक के पद
(vi) संसदीय कार्य मंत्रालय नई दिल्ली में अवर श्रेणी लिपिक के पद
(vii) केन्द्रीय सतर्कता आयोग में निम्न श्रेणी लिपिक के पद

उपरोक्त सेवाओं/पदों के लिए अभिमान, आयोग द्वारा केवल उन्हीं उम्मीदवारों से आमंत्रित किए जाएंगे जो लिखित परीक्षा के परिणाम के बाद टंकण परीक्षा में प्रविष्ट किए जाने के पात्र होंगे।

2. भारत सरकार द्वारा निर्धारित रिक्तियों में भूतपूर्व सैनिक तथा अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के उम्मीदवारों तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्तियों केवल (बहरे तथा शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति) के लिए आरक्षण किया जाएगा।

3. (क) "भूतपूर्व सैनिक" से आशय उस व्यक्ति से है, जिसने भारतीय संघ के नियमित थल सेना, जल सेना एवं वायु सेना में लड़ाकू अथवा गैर-लड़ाकू सैनिक के रूप में किसी भी पद पर सेवा की हो तथा

(अ) जो पेंशन प्राप्त हो जाने के बाद उस सेवा से निवृत्त हुआ हो, अथवा

(ब) जो सैनिक सेवा के लिए स्वीकार्य दोष अथवा उसके नियंत्रण से बाहर की परिस्थितियों के आधार पर उस सेवा से निर्मुक्त कर दिया गया हो तथा जिसे मेडिकल अथवा अन्य अक्षमता पेंशन दी गई हो, तथा

(स) जिसे कर्मचारियों के कटौती के परिणामस्वरूप उस सेवा से अपने अनुरोध के अलावा किसी अन्य आधार पर निर्मुक्त किया गया हो, अथवा

(द) जो लड़ाई की विशिष्ट अवधि को पूरा करने के बाद, अपने अनुरोध के बिना उस सेवा से निर्मुक्त किया गया हो, अथवा दुराचरण अथवा अकुशलता के कारण बर्खास्त अथवा सेवामुक्त किया गया हो तथा जिसे सेवा-उपदान (ग्रेच्युटी) दी गई हो, इसमें प्रादेशिक सेना की निम्नलिखित श्रेणियों के कर्मचारी शामिल हैं:—

(i) निरंतर मूर्त सेवा के पेंशनधारी,
(ii) सैनिक सेवा के दौरान हुई अक्षमता वाले व्यक्ति, तथा
(iii) वीरता पुरस्कार विजेता।

(ख) संविधान अनुसूचित जाति आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित जनजाति) आदेश, 1950, संविधान (अनुसूचित) (संघ राज्य क्षेत्र), आदेश 1951, संविधान (अनुसूचित जन जाति) (संघ राज्य क्षेत्र), आदेश, 1951 (अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति) (सूचियां) (संशोधन), आदेश 1956, बम्बई पुनर्गठन अधिनियम, 1960 पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966, हिमाचल प्रदेश राज्य [अधिनियम, 1970, तथा उत्तर पूर्वी क्षेत्र (पुनर्गठन) अधिनियम, 1971 और अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति (संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा यथा संशोधित) संविधान (जम्मू तथा कश्मीर) अनुसूचित जाति आदेश, 1956, संविधान (अंडमान और निकोबार द्वीप समूह) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1959, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा यथा-संशोधित) संविधान (दादरा और नागर हवेली) अनुसूचित जन जाति आदेश 1962, संविधान (पांडिचेरी) अनुसूचित जाति आदेश, 1964 संविधान (अनुसूचित जन जाति) (उत्तर प्रदेश) आदेश, 1967 संविधान (गोआ, दमन और द्वीव) अनुसूचित जाति, आदेश 1968 संविधान गोआ, दमन और दीव (अनुसूचित जन जाति आदेश 1968 तथा संविधान (नागालैण्ड) अनुसूचित जन जातियां आदेश, 1970 अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जन जाति आदेश (संशोधन) अधिनियम, 1976 संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जाति आदेश, 1978 तथा संविधान (सिक्किम) अनुसूचित जन जाति आदेश, 1978।

(ग) शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति से अभिप्राय निम्नलिखित श्रेणियों में से किसी से संबद्ध व्यक्ति से है —

(च) बहरे :—बहरे व्यक्ति ऐसे व्यक्ति हैं जिनको जीवन के सामान्य प्रयोजन के लिए सुनने का बोध न हो, उच्च स्तर के साफ बोलने पर वे न तो बिल्कुल सुन सकते हों और न ध्वनि को समझ सकते हों, इस वर्ग में ऐसे मामले भी शामिल हैं जो ठीक कान (गंभीर रूप से असमर्थ) 90 डैसीबल से अधिक नहीं सुन सकते हों अथवा दोनों कानों से पूर्ण रूप से नहीं सुन सकते हों।

(छ) शारीरिक रूप से विकलांग:—शारीरिक रूप से विकलांग ऐसे व्यक्ति हैं जिन्हें शारीरिक दोष हो अथवा अंग-विकृति हो जिससे कार्य करने में हड्डी, पेशियों तथा जोड़ों में सामान्य रूप से बाधा पैदा होती हो।

कर्मचारी चयन आयोग द्वारा इस परीक्षा का संचालन इन नियमों के परिशिष्ट-1 में विहित विधि से किया जाएगा।

परीक्षा की तारीख और स्थान आयोग द्वारा निर्धारित किए जाएंगे।

4. यह आवश्यक है कि उम्मीदवार या तो—

(क) भारत का नागरिक हो, या
(ख) नेपाल की प्रजा, या
(ग) भूटान की प्रजा, या
(घ) ऐसा तिब्बती शरणार्थी हो, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से 1 जनवरी, 1962 से पहले भारत में आ गया हो, या

(ङ) ऐसा मूल भारतीय व्यक्ति हो, जो भारत में स्थायी रूप से रहने की इच्छा से पाकिस्तान, बर्मा, श्रीलंका तथा पूर्वी अफ्रीकी देशों केन्या, उगांडा तथा संयुक्त गणराज्य तंजानिया (भूतपूर्व तांगानिका व जंजीबार) जाम्बिया, मलावी, जायरे इथोपिया और वियतनाम से आया हो।

(1) परन्तु ऊपर की श्रेणी (ख), (ग), (घ) और (ङ) से संबंधित उम्मीदवारों के पास भारत सरकार द्वारा उनके नाम दिया गया पात्रता प्रमाण-पत्र होना चाहिए।

(2) परन्तु यह भी शर्त है कि ऊपर की श्रेणी (ख), (ग) तथा (घ) से संबंधित उम्मीदवार भारतीय विदेश सेवा (ख) ग्रेड-VI में नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होंगे।

किसी ऐसे उम्मीदवार को, जिसके मामले में पात्रता प्रमाण-पत्र आवश्यक है, परीक्षा में बैठने दिया जा सकता है, परन्तु उसे नियुक्ति पत्र तभी दिया जा सकता है जब उसे वह मंत्रालय/विभाग आवश्यक प्रमाण पत्र दे दे जो उस पद से संबद्ध हो जहां उम्मीदवार की नियुक्ति की संभावना हो।

5. (क) इस परीक्षा में बैठने के लिए जरूरी है कि पहली अगस्त 1989 को उम्मीदवार की आयु पूरे 18 वर्ष की हो गई हो और पूरी 25 वर्ष की न हुई हो, अर्थात् उसका जन्म 2 अगस्त, 1964 से पहले और पहली अगस्त, 1971 के बाद न हुआ हो।

(ख) उन भूतपूर्व सैनिकों के मामले में जो उक्त पैरा 3(क) में दी गई निर्धारित शर्तों को पूरा करते हों, उन्हें अपनी वास्तविक आयु में से सैनिक सेवा की अवधि घटाने की अनुमति होगी, किन्तु यह परिणामी आयु निर्धारित आयु सीमा से 3 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।

इस आयु छूट के अधीन परीक्षा में प्रवेश पाने वाले उम्मीदवार भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित अथवा अनारक्षित सभी रिक्तियों के लिए प्रतियोगी होने के हकदार होंगे।

टिप्पणी 1—भूतपूर्व सैनिकों के पुनर्नियोजन के लिए ऐसे भूतपूर्व सैनिक जिन्होंने उनको भूतपूर्व सैनिकों के रूप में दिए गए लाभों को प्राप्त करने के बाद सिविल सेवा में सरकारी रोजगार में पहले ही कार्यभार ग्रहण कर लिया है वे आयु सीमा में छूट पाने के पात्र नहीं हैं।

टिप्पणी 2—उपरोक्त नियम 5(ख) के प्रयोजन के लिए किसी भूतपूर्व कर्मचारी की सशस्त्र सेना में आह्वान पर सेवा (काल आफ सर्विस) की अवधि भी सशस्त्र सेना में की गई सेवा के रूप में समझी जाएगी।

टिप्पणी 3—आरक्षण की प्रसुविधाओं को प्राप्त करने के प्रयोजन से संघ की तीनों सशस्त्र सेनाओं के किसी भी सैनिक को भूतपूर्व सैनिक के रूप में माने जाने के लिए यह आवश्यक है कि उसने पद/सेवा के लिए अपना आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के संगत समय भूतपूर्व सैनिक का दर्जा पहले ही प्राप्त कर लिया होगा तथा, अथवा वह सक्षम प्राधिकारी से, प्राप्त दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा प्राप्त हकदारी को साबित करने की स्थिति में होगा कि वह अपने कार्य के पूरा होने की एक वर्ष की निश्चित अवधि के भीतर सशस्त्र सेनाओं से कार्यमुक्त/सेवामुक्त हो जाएगा। (इस प्रयोजन के लिए परीक्षा की तारीख तनिक भी प्रासंगिक नहीं है)।

स्पष्टीकरण : संघ की सशस्त्र सेनाओं में काम कर रहे व्यक्तियों, जो सेवा-निवृत्ति के पश्चात् "भूतपूर्व सैनिक" की श्रेणी को प्राप्त करेंगे—को नियुक्ति की विशिष्ट अवधि से एक वर्ष पहले पुनर्नियोजन के लिए आवेदन करने तथा भूतपूर्व सैनिकों को प्राप्त होने वाली सभी रियायतों को प्राप्त करने की अनुमति दी जा सकती है, किन्तु उन्हें संघ की सशस्त्र सेनाओं में नियुक्ति की विशिष्ट अवधि को पूरा करने तक वर्दी उतारने की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(ग) इन सभी मामलों में उपरलिखित ऊपरी आयु-सीमा में निम्नलिखित और छूट होगी।

(i) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो तो अधिक से अधिक 5 वर्ष तक।

(ii) यदि उम्मीदवार भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का वास्तविक विस्थापित व्यक्ति हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।

(iii) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या किसी अनुसूचित जनजाति का हो तथा भूतपूर्व पूर्वी पाकिस्तान (अब बंगला देश) का सद्भाविक विस्थापित व्यक्ति भी हो और 1 जनवरी, 1964 और 25 मार्च, 1971 के बीच की अवधि में उसने भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

(iv) यदि कोई उम्मीदवार पहले के पश्चिमी पाकिस्तान (अब पाकिस्तान) से वास्तविक रूप से विस्थापित ऐसा व्यक्ति है जो 1 जनवरी, 1971 से 31 मार्च, 1973 तक की अवधि के दौरान भारत में प्रव्रजित हुआ है उसके लिए अधिकतम 3 वर्ष।

(v) यदि कोई उम्मीदवार अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंध रखता है तो वह पहले के पश्चिमी पाकिस्तान (अब पाकिस्तान) से वास्तविक रूप में विस्थापित ऐसा व्यक्ति है जो 1 जनवरी, 1971 से 31 मार्च, 1973 तक की अवधि के दौरान भारत में प्रव्रजित हुआ है उसके लिए अधिकतम 8 वर्ष।

(vi) यदि उम्मीदवार श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो और अक्तूबर, 1964 के भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद उसने भारत में प्रव्रजन किया हो या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।

(vii) यदि उम्मीदवार अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति का हो और श्रीलंका से सद्भावपूर्वक प्रत्यावर्तित या प्रत्यावर्तित होने वाला भारत मूलक व्यक्ति हो तथा अक्तूबर, 1964 को भारत श्रीलंका समझौते के अधीन 1 नवम्बर, 1964 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया है या करने वाला हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

(viii) यदि उम्मीदवार भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने कीनिया उगांडा, तंजानिया, संयुक्त गणराज्य से प्रव्रजन किया हो।

(ix) यदि उम्मीदवार बर्मा से सद्भाव पूर्वक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो और उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।

(x) यदि उम्मीदवार किसी अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति का हो और बर्मा से सद्भाव पूर्वक प्रत्यावर्तित भारत मूलक व्यक्ति हो तथा उसने 1 जून, 1963 को या उसके बाद भारत में प्रव्रजन किया हो तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

(xi) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही और शान्तिकाल दोनों के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप सेवा से मुक्त किए गए रक्षा कार्मिकों को अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।

(xii) किसी दूसरे देश के साथ संघर्ष में या किसी अशांतिग्रस्त क्षेत्र में फौजी कार्यवाही के दौरान विकलांग होने के फलस्वरूप

सेवा से निर्मुक्त किए गए ऐसे रक्षा कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति के हों, तो अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

(xiii) 1971 के भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाही में विकलांग होने के परिणामस्वरूप सेवा से निर्मुक्त किए गए सीमा सुरक्षा बल के रक्षा कार्मिकों के लिए अधिक से अधिक 3 वर्ष तक।

(xiv) 1971 के भारत पाकिस्तान के बीच हुए संघर्ष के दौरान फौजी कार्यवाही में विकलांग होने के परिणामस्वरूप सेवा से निर्मुक्त सीमा सुरक्षा बल के उन रक्षा कार्मिकों के लिए, जो अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति के हों, अधिक से अधिक 8 वर्ष तक।

( ) यदि कोई उम्मीदवार वास्तविक रूप से प्रत्यावर्तित मूलतः भारतीय व्यक्ति (जिसके पास भारतीय पारपत्र हो) और ऐसा उम्मीदवार जिसके पास वियतनाम में भारतीय राजदूतावास द्वारा जारी किया गया आपातकालीन का प्रमाण-पत्र है, और जो वियतनाम से जुलाई, 1975 से पहले भारत नहीं आया है, तो उसके लिए अधिक से अधिक 3 वर्ष तक

(xvi) यदि उम्मीदवार शारीरिक रूप से विकलांग हो अर्थात् जिसका कोई अंग विकृत है तो अधिक से अधिक 10 वर्ष (अनुसूचित जातियों व जन जातियों के उन उम्मीदवारों के लिए जो शारीरिक रूप से विकलांग भी हैं, शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों को मिलने वाली 10 वर्ष की आयु छूट उन्हें खण्ड (1) के अन्तर्गत [illegible] आयु छूट के अतिरिक्त होगी।) और

(xvii) ऐसी विधवाओं, तलाक शुदा महिलाओं और न्यायिक तौर पर अपने पतियों से अलग हुई महिलाओं के मामले में जिन्होंने पुनर्विवाह नहीं किया है, 35 वर्ष की आयु (अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की महिलाओं के लिए 40 वर्ष तक)।

(xviii) उन व्यक्तियों के ऊपरी आयु सीमा में अधिक से अधिक 6 वर्ष की छूट है जो पहली जनवरी, 1980 से 15 अगस्त 1985 की अवधि के दौरान साधारणतः असम राज्य में है/हों। यह छूट उसे (क) जिला मजिस्ट्रेट जिसके क्षेत्राधिकार में वह साधारणतः रहा हो अथवा (ख) असम सरकार द्वारा इस संबंध में पदनामित किसी अन्य प्राधिकारी से प्रमाण-पत्र के प्रस्तुत करने पर ही दी जाएगी।

(घ) उक्त ऊपरी आयु सीमा में उन व्यक्तियों के मामले में 35 वर्ष तक की आयु की छूट दी जाएगी जो भारत सरकार के विभिन्न विभागों में तथा निर्वाचन आयोग के कार्यालयों में लिपिकों/सहायकों/संकलकों/भंडार रक्षकों के पदों पर नियमित रूप से नियुक्त हैं और 1-8-89 को जिन्होंने लिपिकों के रूप में कम से कम 3 वर्ष की निरन्तर सेवा की है और उसी रूप में कार्य करते आ रहे हैं।

परन्तु यह भी शर्त है कि उक्त आयु की छूट उन व्यक्तियों को नहीं दी जाएगी जो मंत्रालयों/विभागों और सम्बद्ध और अधीनस्थ कार्यालयों में (1) केन्द्रीय सचिवालय सेवा और (2) भारतीय विदेश सेवा (ख) (3) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा और (4) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा में लिपिकों के रूप में कार्य कर रहे हैं तथा उन व्यक्तियों को जो भूतपूर्व सैनिक है, और भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित रिक्तियों के लिए परीक्षा में बैठ रहे हैं।

(ङ) उक्त ऊपरी आयु सीमा में उन व्यक्तियों के मामले में 35 वर्ष की आयु तक छूट दी जाएगी जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में भाग लेने वाले भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों और संबद्ध कार्यालयों में हिन्दी लिपिक/हिन्दी टंकक के पदों पर नियुक्त हैं और 1-8-1989 को, जिन्होंने हिन्दी लिपिकों/हिन्दी टंककों के रूप में कम से कम 3 वर्ष की निरन्तर सेवा की है और उसी रूप में कार्य करते आ रहे हैं।

परन्तु शर्त यह है कि उक्त आयु की छूट के अन्तर्गत परीक्षा में प्रविष्ट हिन्दी लिपिक, हिन्दी टंकक केवल केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा में रिक्तियों के लिए प्रतियोगिता के पात्र होंगे।

(च) ऊपरी आयु-सीमा में सैनिक-लिपिकों को 45 वर्ष की आयु तक की छूट दी जाएगी जो सशस्त्र सेना में अपनी कलर सेवा के अंतिम वर्ष में है अर्थात् उनको जो सेना से 2 अगस्त, 1989 से पहली अगस्त, 1990 की अवधि में निवृत्त होने वाले हैं, ऐसे उम्मीदवारों को शुल्क में कोई छूट नहीं दी जाएगी।

परन्तु शर्त यह है कि उक्त आयु की छूट के अन्तर्गत परीक्षा में प्रविष्ट उम्मीदवारों को केवल सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्तर्सेवा संगठनों में रिक्त स्थानों के लिए ही, जो भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित नहीं है, प्रतियोगिता के पात्र होंगे।

(छ) उन टेलीफोन आपरेटरों के लिए कोई ऊपरी आयु सीमा नहीं होगी, जो दिनांक पहली अगस्त, 1989 को विदेश मंत्रालय में नियुक्त होंगे और जिनकी नियुक्ति यथावत् जारी रहेगी।

(ज) कार्मिक और प्रशासनिक सुधार विभाग के दिनांक 4-7-1983 के कार्यालय ज्ञापन संख्या 22011/15/81 स्थापना (घ) के अनुसार उन स्टाफ कार ड्राइवरों के लिए 35 वर्ष तक की ऊपरी आयु सीमा में छूट दी गई है, जो अवर श्रेणी लिपिक के पद पर नियुक्ति के लिए शैक्षिक रूप से अर्हता रखते हों और जिन्होंने उस ग्रेड में कम से कम 3 वर्ष की नियमित सेवा कर ली हो।

टिप्पणी : 1—डाक विभाग के अधीनस्थ कार्यालयों में नियुक्त रेल डाक छंटाईकारों की सेवा उपर्युक्त नियम 5 (ख) के प्रयोजन के लिए लिपिक के ग्रेड में की गई मानी जाएगी।

टिप्पणी : 2—यदि किसी उम्मीदवार को उपर्युक्त नियम 5 (ग) नियम 5 (घ) और नियम 5 (छ) में उल्लिखित आयु संबंधी रियायतों के अन्तर्गत परीक्षा में बैठने दिया गया हो और यदि आवेदन पत्र देने के बाद परीक्षा में बैठने से पहले या बाद में, वह नौकरी से त्याग पत्र दे दे या उसके विभाग द्वारा उसकी सेवाएं समाप्त कर दी जाएं, तो उसकी उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है, लेकिन यदि आवेदन पत्र प्रस्तुत करने के बाद सेवा या पद से उसकी छटनी हो जाए तो वह पात्र बना रहेगा।

टिप्पणी : 3—किसी लिपिक को जो सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से किसी निःसंवर्ग पद (एक्स-कैडर-पोस्ट) पर प्रतिनियुक्त हो, अन्य सब प्रकार से पात्र होने पर परीक्षा में बैठने दिया जाएगा।

टिप्पणी : 4-- विदेश मंत्रालय में भाग ले रहे कार्यालयों/विभागों में काम कर रहा कोई स्थाई अथवा अस्थाई टेलीफोन आपरेटर इस परीक्षा में बैठने का पात्र होगा परन्तु किसी टेलीफोन आपरेटर को परीक्षा पास करने के लिए दो से अधिक अवसर प्रदान नहीं किए जाएंगे। जो टेलीफोन आपरेटर सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से अन्य असंवर्ग पदों पर प्रतिनियुक्ति पर हों, वे इस परीक्षा में प्रवेश के पात्र होंगे यदि वे अन्यथा पात्र हों। यह उस व्यक्ति पर भी लागू होगा जो किसी अन्य असंवर्ग पद या स्थानान्तरण पर किसी अन्य सेवा में नियुक्त किया गया है। यदि उस समय टेलीफोन आपरेटर के पद में उसका पुनर्ग्रहणाधिकार है।

टिप्पणी : 5--जहां तक इस नियम की उक्त श्रेणी (छ) के अन्तर्गत आने वाले व्यक्तियों का संबंध है, यह परीक्षा अर्हक होगी, प्रतियोगितात्मक नहीं। उनको टंकण परीक्षा में नहीं बैठना होगा जो इस परीक्षा का एक भाग है। उन्होंने पहले से टंकण परीक्षा पास नहीं कर रखी होगी तो उन्हें इस आयोग द्वारा ली गई कोई आवर्ती टंकण परीक्षा निम्न श्रेणी लिपिक के रूप में उसकी नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष के अन्दर पास करनी होगी। यदि वे यह परीक्षा पास नहीं करेंगे तो उन्हें कोई वार्षिक वेतन वृद्धि नहीं दी जाएगी। जब तक कि वे कथित परीक्षा पास नहीं कर लेंगे।

आयोग द्वारा सिफारिश किया गया टेलीफोन आपरेटर केवल भारतीय विदेश सेवा ख ग्रेड-VI में लिया जाएगा।

उपर बताई स्थितियों के अलावा निर्धारित आयु-सीमाओं में किसी हालत में छूट नहीं दी जा सकेगी। "भूतपूर्व सैनिकों के पुत्रों तथा पुत्रियों" तथा पिछड़े वर्ग से संबंधित व्यक्तियों की आयु में कोई रियायत अनुज्ञेय नहीं है।

6. भारत में केन्द्रीय अथवा राज्य विधान मंडल के किसी अधिनियम द्वारा निगमित किसी विश्वविद्यालय की मैट्रिक की परीक्षा अथवा माध्यमिक विद्यालय, उच्च विद्यालय के अन्त में किसी राज्य शिक्षा बोर्ड द्वारा ली जाने वाली परीक्षा या कोई अन्य प्रमाण-पत्र जो उस राज्य सरकार/भारत सरकार द्वारा सेवाओं में प्रवेश के लिए मैट्रिक प्रमाण-पत्र के समकक्ष माना जाता हो वह परीक्षा उम्मीदवारों द्वारा 1 अगस्त, 1989 तक आवश्यक पास की होनी चाहिए।

टिप्पणी : 1- यदि कोई उम्मीदवार किसी ऐसी परीक्षा में बैठा हो जिसके पास करने से वह आयोग की परीक्षा के लिए शैक्षणिक रूप से पात्र हो जाएगा परन्तु जिसका परिणाम उसे सूचित न किया गया हो तथा ऐसा उम्मीदवार भी जो किसी ऐसी अर्हक परीक्षा में बैठने का विचार कर रहा हो, वह आयोग की परीक्षा में प्रवेश का पात्र नहीं होगा।

टिप्पणी : 2- कुछ विशिष्ट मामलों में जहां कि उम्मीदवार के पास उक्त नियमों के अनुसार कोई उपाधि नहीं है केन्द्रीय सरकार उसे अर्हता प्राप्त उम्मीदवार मान सकती है बशर्ते कि वह उस स्तर तक अर्हता प्राप्त हो जो उस सरकार की राय में परीक्षा में प्रवेश करने के लिए यथोचित है।

7. (1) जिस व्यक्ति ने :—

(क) ऐसे व्यक्ति से विवाह अनुबन्ध किया है, जिसका/जिसकी पति/पत्नि जीवित है, या

(ख) जिसने जीवित पति या पत्नि के होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह या विवाह अनुबन्ध किया है, तो वह सेवा में नियुक्ति के लिए तब तक पात्र नहीं माना जाएगा जब तक कि केन्द्रीय सरकार संतुष्ट न हो जाए कि ऐसे व्यक्ति का विवाह के दूसरे पक्ष पर लागू वैयक्तिक कानून के अनुसार ऐसा विवाह स्वीकार है तथा ऐसा करने के अन्य कारण हैं और जब तक उसको इस नियम से छूट न दे दें।

2. जिस व्यक्ति ने विदेशी राष्ट्रिक से विवाह किया है, वह भारतीय विदेश सेवा ख ग्रेड-VI की नियुक्ति के लिए पात्र नहीं माना जाएगा।

8. जो उम्मीदवार पहले से स्थाई या अस्थाई रूप से सरकारी नौकरी में हो, वह परीक्षा में बैठने के लिए सीधे आवेदन कर सकता है परन्तु उसे टंकण परीक्षा में बैठने की अनुमति से पहले अपने कार्यालय से एक अनापत्ति प्रमाण-पत्र भेजना होगा।

9. उम्मीदवार को मानसिक और शारीरिक दृष्टि से स्वस्थ होना चाहिए और उसमें कोई ऐसा शारीरिक दोष नहीं होना चाहिए जो संबंधित सेवा/पद के अधिकारी के रूप में अपने कर्तव्यों को कुशलतापूर्वक निभाने में बाधक हों। यदि सक्षम प्राधिकारी द्वारा विहित डाक्टरी परीक्षा के बाद किसी उम्मीदवार के बारे में यह ज्ञात हुआ कि वह इन अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर सकता है तो उसकी नियुक्ति नहीं की जाएगी। केवल उन्हीं उम्मीदवारों की डाक्टरी परीक्षा की जाएगी जिन पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने की संभावना होगी।

टिप्पणी :—उक्त भूतपूर्व रक्षा व्यक्तियों/कार्मिकों के मामले में रक्षा सेवा के सैन्य विघटन डाक्टरी बोर्ड (डीमोबलाईजेशन मेडिकल बोर्ड) द्वारा दिया गया स्वस्थता प्रमाण-पत्र नियुक्ति के प्रयोजन के लिए पर्याप्त समझा जाएगा।

10. परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की पात्रता या अपात्रता के बारे में आयोग का निर्णय अन्तिम होगा।

11. किसी भी उम्मीदवार को परीक्षा में तब तक नहीं बैठने दिया जाएगा जब तक उसके पास आयोग का प्रवेश पत्र (सर्टिफिकेट आफ एडमिशन) न हो।

12. सशस्त्र सेना से निवृत्त भूतपूर्व सैनिक तथा जिन्हें आयोग के विज्ञापन के अन्तर्गत शुल्क की छूट दी गई है, को छोड़कर सभी उम्मीदवारों को निर्धारित शुल्क देना होगा।

13. यदि उम्मीदवार ने अपनी उम्मीदवारी के लिए किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने का यत्न किया तो उसे परीक्षा में प्रवेश के लिए अयोग्य माना जा सकता है।

14. यदि किसी उम्मीदवार को आयोग द्वारा निम्नलिखित बातों के लिए दोषी घोषित कर दिया जाता है या कर दिया गया हो जबकि उसने :—

(i) किसी भी प्रकार से अपनी उम्मीदवारी के लिए समर्थन प्राप्त किया है, अथवा

(ii) नाम बदल कर परीक्षा दी है, अथवा

(iii) किसी अन्य व्यक्ति से छद्म रूप में कार्य साधन कराया है, अथवा

(iv) जाली प्रमाण-पत्र या ऐसे प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए हैं जिनमें तथ्यों को बिगाड़ा गया हो, अथवा

(v) गलत या झूठे वक्तव्य दिए हैं या किसी महत्वपूर्ण तथ्य को छिपाया है, अथवा

(vi) परीक्षा में प्रवेश पाने के लिए किसी अन्य अनियमित अथवा अनुचित उपायों का सहारा लिया है, अथवा

(vii) असंगत सामग्री लिखना जिसमें पांडुलिपि में अश्लील भाषा या अश्लील सामग्री भी शामिल है, या

(viii) परीक्षा भवन में अनुचित तरीके अपनाए हैं, अथवा

(ix) परीक्षा भवन में किसी भी तरीके से अनुचित आचरण किया है, अथवा

(x) आयोग द्वारा अपनी परीक्षाएं आयोजित करने के लिए, उसके द्वारा तैनात कर्मचारियों को तंग करना अथवा शारीरिक रूप से हानि पहुंचाना, अथवा

(xi) उम्मीदवारों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने वाले उनके प्रवेश प्रमाण पत्रों के साथ, उम्मीदवारों को जारी किए गए किन्हीं अनुदेशों का उल्लंघन करने, अथवा

(xii) उपर्युक्त खंडों में उल्लिखित सभी अथवा किसी भी कार्य के द्वारा आयोग को किसी प्रतिबद्धता अथवा जैसा भी मामला हो, किसी भी प्रकार अवप्रेरित करने का प्रयत्न किया है तो उस पर आपराधिक अभियोग (क्रिमिनल प्रासीक्यूशन) चलाया जा सकता है और उसके साथ ही उसे:—

(क) आयोग द्वारा उस परीक्षा से, जिसका वह उम्मीदवार है, बैठने के लिए अयोग्य ठहराया जा सकता है, अथवा

(ख) उसे अस्थाई रूप से अथवा एक विशेष अवधि के लिए:—

(i) आयोग द्वारा ली जाने वाली किसी भी परीक्षा अथवा चयन के लिए,

(ii) केन्द्रीय सरकार द्वारा अपने अधीन किसी भी नौकरी से वारित किया जा सकता है, और

(ग) उपर्युक्त नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्यवाही की जा सकती है यदि वह पहले से सरकारी नौकरी में हो।

15 परीक्षा के बाद उन उम्मीदवारों को जो टंकण परीक्षा में पास होंगे अथवा जिनको छूट मिल जाएगी लिखित परीक्षा में प्रत्येक उम्मीदवार को अंतिम रूप से दिए गए कुल अंकों के आधार पर बने श्रेष्ठता क्रम में रखा जाएगा तथा उसी क्रम में जितने उम्मीदवार आयोग द्वारा परीक्षाओं में पास हुए पाए जाएंगे उनकी अनारक्षित रिक्तियों की संख्या तक नियुक्ति के लिए सिफारिश की जाएगी।

लेकिन यह भी शर्त है कि अनुसूचित जातियों अथवा अनुसूचित जन जातियों के अथवा भूतपूर्व सैनिकों अथवा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आरक्षित रिक्तियों की संख्या सामान्य स्तर के अनुसार न भरी गई तो उनके लिए आरक्षित स्थानों की पूर्ति के लिए आयोग निर्धारित सामान्य स्तर में रियायत देकर भी अनुसूचित जातियों/अनुसूचित आदिम जातियों के सदस्यों अथवा भूतपूर्व सैनिकों अथवा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या तक स्थानों पर परीक्षा में उनके योग्यता क्रम के स्थान पर ध्यान दिए बिना ही, उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश कर सकता है बशर्ते कि वे सेवा में चुने जाने के योग्य हों।

आगे यह भी शर्त है कि अनुसूचित जाति अथवा अनुसूचित जन जाति अथवा शारीरिक रूप से विकलांग उम्मीदवारों के भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों के लिए निर्धारित आरक्षित रिक्तियों की संख्या सामान्य स्तर के अनुसार न भरी गई तो उनके लिए आरक्षित स्थानों की पूर्ति के लिए आयोग सामान्य स्तर में रियायत देकर भी भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित स्थानों में से अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति एवं शारीरिक रूप से विकलांग भूतपूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित स्थानों की संख्या तक स्थानों पर, परीक्षा में उनके योग्यता क्रम पर ध्यान दिए बिना ही उनकी नियुक्ति के लिए सिफारिश कर सकता है, बशर्ते कि वे सेवा में चुने जाने के योग्य हों।

16. परीक्षा परिणाम के आधार पर नियुक्तियां करते समय किसी उम्मीदवार द्वारा टंकण परीक्षा में प्रवेश के समय विभिन्न सेवाओं/पदों के लिए बताई गई प्राथमिकताओं का समुचित ध्यान रखा जाएगा।

17. हर एक उम्मीदवार को परीक्षा-फल की सूचना किस रूप में तथा किस प्रकार दी जाए इसका निर्णय आयोग अपने विवेकानुसार करेगा और आयोग परीक्षा-फल के संबंध में उनसे कोई पत्र व्यवहार नहीं करेगा।

18. आवश्यक जांच के बाद जब तक सरकार संतुष्ट न हो जाए कि उम्मीदवार इस सेवा/पद पर नियुक्ति के लिए हर प्रकार से उपयुक्त है, तब तक परीक्षा में पास हो जाने मात्र से नियुक्ति का अधिकार नहीं मिल जाता।

डा० रविन्द्र सिंह, अवर सचिव

———

परिशिष्ट-I

परीक्षा दो भागों में ली जाएगी अर्थात् भाग-I लिखित परीक्षा और भाग-II टंकण परीक्षा।

भाग-I लिखित परीक्षा:—लिखित परीक्षा के विषय, परीक्षा के लिए अनुमत समय और प्रत्येक विषय के पूर्णांक इस प्रकार होंगे:—

प्रश्नपत्र संख्या	विषय	पूर्णांक	अनुमत समय
1.	सामान्य बुद्धिमत्ता	50	दो घण्टे
2.	अंग्रेजी भाषा	50	
3.	संख्यात्मक अभिरुचि	50	
4.	लिपिकीय अभिरुचि	50	
	कुल	200	

टिप्पणी:—सभी चारों विषयों के प्रश्न "वस्तुनिष्ठ बहु-विकल्प प्रकार" के होंगे। उम्मीदवारों द्वारा सभी चारों विषयों में, अलग-अलग रूप में, अर्हता प्राप्त करना अनिवार्य होगा। आयोग अपने विवेकानुसार सभी चार विषयों की परीक्षा के न्यूनतम अर्हक (क्वालीफाइंग) अंक निर्धारित कर सकता है।

भाग-II: टंकण परीक्षा:—टंकण परीक्षा में लगातार टाइप करने की सामग्री (रनिंग मैटर) का एक 10 मिनट की अवधि का पेपर होगा।

2. टंकण परीक्षा अर्थात् परीक्षा की योजना के भाग-II में बैठने के लिए केवल वही उम्मीदवार पात्र होंगे जो ऊपर उल्लिखित चारों विषयों में उत्तीर्ण होने के साथ-साथ लिखित परीक्षा में आयोग के विवेकानुसार निश्चित किया गया एक न्यूनतम मानक प्राप्त करेंगे।

किन्तु यदि आयोग की राय में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति या विकलांग या भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों को उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के उद्देश्य से सामान्य स्तर के आधार पर पर्याप्त संख्या में टंकण परीक्षा के लिए बुलाना संभव न हो तो आयोग द्वारा इन श्रेणियों के उम्मीदवारों को निर्धारित स्तर में छूट दी जा सकती है।

3. परीक्षा के नियमों के नियम 15 के अनुसार केवल वे ही उम्मीदवार नियुक्ति के लिए सिफारिश के पात्र होंगे जो अंग्रेजी में कम से कम 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अथवा हिन्दी में कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की गति से टंकण परीक्षा पास करेंगे। (यह विदेश मंत्रालय में नियुक्त टेलीफोन आपरेटरों के मामले में लागू नहीं होता)।

टिप्पणी: 1—जिन उम्मीदवारों ने संघ लोक सेवा आयोग अथवा सचिवालय प्रशिक्षणशाला अथवा सचिवालय प्रशिक्षण तथा प्रबन्ध संस्थान अथवा अधीनस्थ सेवा आयोग अथवा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा आयोजित कोई आवधिक टंकण परीक्षा अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट की गति से अथवा हिन्दी में 25 शब्द प्रति मिनट की गति से पहले ही पास कर रखी हो उन्हें इस परीक्षा की टंकण परीक्षा में बैठने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे उम्मीदवारों को पास

की गई टंकण परीक्षा में अपना रोल नम्बर तथा परीक्षा की तारीख अवश्य सूचित करनी होगी।

टिप्पणी: 2—जो उम्मीदवार किसी शारीरिक अशक्तता के कारण टंकण परीक्षा पास करने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य होने का दावा करता है उसे अध्यक्ष, कर्मचारी चयन आयोग के पूर्वानुमोदन से उस परीक्षा के देने और पास करने की शर्त से छूट दी जा सकती है बशर्ते कि ऐसे उम्मीदवार को जब टंकण परीक्षा देने के लिए कहा जाए तो वह सक्षम चिकित्सा प्राधिकारी अर्थात् सिविल सर्जन से (निर्धारित प्रपत्र में) एक प्रमाण पत्र आयोग को प्रस्तुत करें जिसमें उसको किसी शारीरिक अशक्तता के कारण उसे टंकण परीक्षा पास करने के लिए स्थायी रूप से अयोग्य घोषित किया गया हो।

4. उम्मीदवारों को टंकण परीक्षा के लिए अपनी टाईप मशीन लानी होगी। स्टैण्डर्ड साईज के रोलर वाली मशीन टाईप के लिए काम दे सकेगी।

5. उम्मीदवारों को छूट होगी कि टंकण परीक्षा हिन्दी (देवनागरी लिपि) में दें अथवा अंग्रेजी में।

6. हिन्दी (देवनागरी लिपि) में टंकण परीक्षा में बैठने का विकल्प देने के इच्छुक उम्मीदवारों को अपने आवेदन पत्र में ऐसा करने की अपनी इच्छा निर्दिष्ट करनी चाहिए, नहीं तो यह मान लिया जाएगा कि वह अंग्रेजी में टंकण-परीक्षा में बैठेगा। एक बार दिया गया विकल्प अन्तिम माना जाएगा और विकल्प में कोई परिवर्तन करने के किसी अनुरोध पर विचार नहीं किया जाएगा। जिस भाषा की टंकण परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार ने अपना विकल्प दिया हो, उससे इतर भाषा की टंकण परीक्षा में बैठने पर कोई श्रेय नहीं दिया जाएगा।

7. लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम इस परिशिष्ट की अनुसूची में दर्शाया जायेगा।

8. उम्मीदवार प्रश्न पत्र स्वयं अपने हाथ से लिखेंगे। किसी भी परिस्थिति में उन्हें अपने प्रश्न पत्रों को लिखने के लिए किसी लेखक की सहायता अनुज्ञेय नहीं होगी।

9. आयोग अपने विवेकानुसार परीक्षा के किसी एक विषय अथवा सभी विषयों में अर्हक अंक निर्धारित करेगा।

अनुसूची

भाग-I—लिखित परीक्षा में सम्मिलित विषयों का पाठ्यक्रम :

1. सामान्य बुद्धिमत्ता—इस परीक्षा में दिए जाने वाले प्रश्न अनुदेशों को समझने, सम्बन्ध समानताएं सुसंगति निर्धारित करने, निष्कर्ष निकालने और इसी प्रकार के बौद्धिक कार्यकलापों पर आधारित होंगे।

2. अंग्रेजी भाषा—इस परीक्षा में प्रश्न अंग्रेजी भाषा के शब्द ज्ञान, व्याकरण, वाक्य गठन, पर्यायवाची, विलोम आदि के ज्ञान का मूल्यांकन करने के लिए तैयार किए जाएंगे। इस प्रश्नपत्र में एक प्रश्न अपठित गद्यांश का होगा।

3. संख्यात्मक अभिरुचि—प्रश्न इस तरह तैयार किए जाएंगे जिससे कि सम्पूर्ण संख्याओं, दशमलवों और भिन्नों तथा संख्याओं के बीच संबंध के बारे में अंकगणित सम्बन्धी गणना की योग्यता की परीक्षा की जा सके। प्रश्न अंकगणित की जटिल गणनाओं पर नहीं बल्कि अंकगणित संबंधी अवधारणाओं तथा संख्याओं के बीच संबंध पर आधारित होंगे।

4. लिपिकीय अभिरुचि—यह परीक्षा उम्मीदवार की प्रत्यक्ष-ज्ञानात्मक शुद्धता तथा अभिरुचि की जांच करने के उद्देश्य से तैयार की गई है। यह ऐसी योग्यता है जिससे नामों और संख्याओं के युग्मों की समानता तथा भिन्नता का पता चलता है। लिपिकीय अभिरुचि से संबंधित प्रश्नों से प्रत्यक्ष-ज्ञानात्मक शुद्धता तथा अभिरुचि के अलावा फाइलिंग, संक्षेपण सूचक तैयार करने आदि जैसे नेमी ढंग के कार्यालयी कामकाज निपटाने की योग्यता की भी जांच की जाएगी।

परिशिष्ट-II

उन सेवाओं/पदों में संशोधित सविदा (विवरण) जिनके लिए इस परीक्षा द्वारा भर्ती की जा रही है।

(क) केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा

केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के निम्नलिखित दो ग्रेड हैं:—

1. उच्च श्रेणी ग्रेड रु० 1200–30–1560–द० रो०–40–2040
2. अवर श्रेणी ग्रेड रु० 950–20–1150–द० रो०–25–1500

2. अवर श्रेणी ग्रेड में नियुक्त व्यक्ति इस अवधि के दौरान परिवीक्षाधीन रहेंगे सरकार द्वारा यथानिर्धारित प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे और विभागीय परीक्षाएं पास करेंगे। प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न दिखाने पर या परीक्षाएं पास न कर सकने पर परिवीक्षाधीन व्यक्ति नौकरी से हटाया जा सकता है।

3. परिवीक्षा की अवधि पूरी होने पर सरकार परिवीक्षाधीन लिपिक की पुष्टि कर सकती है या यदि उसका कार्य या आचरण सरकार की राय में असंतोषजनक रहा हो, उसे सेवा से निकाला जा सकता है या सरकार उसकी परिवीक्षा की अवधि जितनी बढ़ाना उचित समझे, बढ़ा सकती है।

4. अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्तियों को केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा योजना में भाग लेने वाले मंत्रालयों या कार्यकर्ता कार्यालयों में से किसी एक में नियुक्त कर दिया जाएगा। उनकी किसी भी समय किसी भी ऐसे अन्य मंत्रालय या कार्यालय में बदली भी हो सकती है जो केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा योजना में भाग ले रहे हों।

5. अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्ति इस संबंध में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार उच्च श्रेणी ग्रेड में पदोन्नत किए जाने के पात्र होंगे। स्थायी या नियमित रूप से नियुक्त किए गए अस्थाई अवर श्रेणी लिपिक, जो सरकार द्वारा इस संबंध में यथानिर्दिष्ट निर्धारित तारीख को 5 वर्ष की अनुमोदित या निरन्तर सेवा अवधि पूरी कर चुकेंगे, वे उच्च श्रेणी लिपिक की सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

6. अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्ति इस संबंध में सरकार द्वारा निर्धारित तारीख को कम से कम दो वर्ष अनुमोदित तथा निरन्तर सेवा करने के बाद श्रेणी "घ" के आशुलिपिकों की परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। इस परीक्षा के लिए अधिकतम आयु सीमा निर्णायक तारीख को 50 वर्ष होनी चाहिए।

7. जिन लोगों की नियुक्ति केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में उनकी इच्छा के अनुसार दी जाएगी, वे उस नियुक्ति के पश्चात् भारतीय विदेश सेवा (ख) के काडर में अथवा रेलवे बोर्ड के सचिवालय लिपिक सेवा योजना में शामिल किसी पद पर स्थानान्तरण या नियुक्ति की मांग नहीं कर सकेंगे।

(ख) रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा

रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा रेल मंत्रालय में नियुक्त अवर श्रेणी लिपिकों की सेवा की शर्तें, नियुक्ति, प्रशिक्षण, पदोन्नति आदि रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा नियम, 1970 से जो समय-समय पर बने हैं, संचालित होती हैं।

2. रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा की निम्नलिखित दो श्रेणियां हैं :—

उच्च श्रेणी लिपिक रु० 1200–30–1560–द० रो०–40–2040
अवर श्रेणी लिपिक रु० 950–20–1150–द० रो०–25–1500

3. सीधी भर्ती केवल अवर श्रेणी लिपिकों के ग्रेड में ही की जाती है। अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती हुए व्यक्ति दो साल के लिए परिवीक्षाधीन रहेंगे और इस अवधि में उन्हें वैसे प्रशिक्षण प्राप्त करने होंगे और वैसी विभागीय परीक्षाओं में उत्तीर्ण होना होगा जो सरकार द्वारा निर्धारित की जाएंगी। प्रशिक्षण के दौरान पर्याप्त प्रगति न दिखलाने पर अथवा परीक्षा में अनुत्तीर्ण होने पर उन्हें सेवा से हटाया जा सकता है।

4. निम्न श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्ति इस सम्बन्ध में समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार उच्च श्रेणी ग्रेड में पदोन्नति के पात्र होंगे। ऐसे स्थायी अथवा नियमित रूप से नियुक्त निम्न श्रेणी लिपिक, जो इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा निर्धारित निर्णायक तारीख को रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के अवर श्रेणी ग्रेड में 5 वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा पूरी कर चुके हों, रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा की उच्च श्रेणी ग्रेड सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे।

5. निम्न श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्ति इस सम्बन्ध में सरकार द्वारा यथानिर्धारित निर्णायक तारीख को कम से कम 2 वर्ष की अनुमोदित तथा लगातार सेवा पूरी कर चुकने के बाद, रेल मंत्रालय द्वारा रेलवे बोर्ड सचिवालय आशुलिपिक सेवा की श्रेणी "घ" के लिए की जाने वाली सीमित विभागीय प्रतियोगितात्मक परीक्षा में बैठने के पात्र होंगे। इस परीक्षा के लिए ऊपरी आयु सीमा निर्णायक तारीख को 45 वर्ष है।

6. रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा रेल मंत्रालय तक सीमित है और उसके कर्मचारी केन्द्रीय सचिवालय लिपिक सेवा की भांति अन्य मंत्रालयों में स्थानान्तरित नहीं हो सकते हैं।

7. रेलवे बोर्ड सचिवालय लिपिक सेवा के सदस्य जो इन नियमों के अधीन भर्ती किए गए हैं —

(1) पेंशन के लाभों के हकदार होंगे, और

(2) जब वे नौकरी में नियुक्त हुए हों, उस तारीख को नियुक्त रेलवे कर्मचारियों के लिए लागू और अंशदायी राज्य रेलवे भविष्य निधि के नियमों के अधीन उस निधि में अंशदान करेंगे।

8. रेलवे मंत्रालय में नियुक्त कर्मचारी अन्य रेलवे कर्मचारियों की भांति ही बराबर की मात्रा में प्रिविलेज पासों और प्रिविलेज टिकट आर्डरों के हकदार होंगे।

9. जहां तक छुट्टी तथा सेवा की अन्य शर्तों का संबंध है, रेलवे बोर्ड सचिवालय सेवा में शामिल कर्मचारियों को, उसी प्रकार की सुविधाएं हैं जैसा कि अन्य रेल कर्मचारियों को किन्तु चिकित्सा सुविधाएं उन्हें दूसरे केन्द्रीय सरकार के कर्मचारी, जिनकी मुख्यालय नई दिल्ली है, के समान हैं।

ग भारतीय विदेश सेवा (ख) ग्रेड-VI

वेतनमान रु० 950-20-1150-द० रो०-25-1500-

भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड VI में नियुक्त किए गए अधिकारी, उक्त ग्रेड में आठ वर्षों की सेवा पूरी करने पर रु० 1200-30-1560-द० रो०-40-2040 के वेतनमान में ग्रेड 5 में पदोन्नति के लिए पात्र हैं।

2. भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड-V अधिकारी उक्त ग्रेड में पांच वर्षों की सेवा पूरी करने पर रु० 1400-40-1600-50-2300-द० रो०-60-2600 के वेतनमान में अपनी पारी में उक्त सेवा के ग्रेड-IV में नियुक्ति के लिए पात्र होंगे।

3. भारतीय विदेश सेवा (ख) के ग्रेड-VI के अधिकारी रु० 1200-30-1560-द० रो०-40-2040 के वेतनमान में उक्त ग्रेड में अपेक्षित वर्षों की सेवा पूरी करने पर सीमित विभागीय परीक्षा के आधार पर सेवा के उप-संवर्ग में आशुलिपिकों के ग्रेड-III में पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

4. ग्रेड-VI के ऐसे अधिकारी, जो स्नातक हैं, रु० 1400-40-1600-50-2300-द० रो०-60-2600 के वेतनमान में, उक्त ग्रेड में अपेक्षित वर्षों की सेवा पूरी करने पर सीमित विभागीय परीक्षा के माध्यम से भा० वि० से० (ख) के उप-संवर्ग में सहायक के ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

5. भारतीय विदेश सेवा (ख) में नियुक्त किए गए उम्मीदवार या तो मुख्यालय पर भारत के किसी भी स्थान में अथवा जहां नियुक्तक प्राधिकारी द्वारा उन्हें तैनात किया जाता है, किसी पद पर सेवा करनी होगी।

6. विदेश सेवा के दौरान, भा० वि० से० (ख) के अधिकारियों का उनके मूल वेतन के अतिरिक्त उन दरों पर विदेश भत्ता मंजूर किया जाएगा जो संबंधित मुल्कों के निर्वाह व्यय आदि के आधार पर समय-समय पर मंजूर किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त भारतीय विदेश सेवा (पी० एल० सी०) नियम 1961 के अनुसार, जो भारतीय विदेश सेवा (ख) अधिकारियों के लिए लागू है विदेश सेवा के दौरान निम्नलिखित रियायतें भी स्वीकार्य होंगी :-

(i) सरकार द्वारा निर्धारित मानदण्ड के आधार पर निःशुल्क आवास।

(ii) समय-समय पर यथासंशोधित सहायता प्राप्त चिकित्सा परिचर्या योजना के अधीन चिकित्सा परिचर्या सुविधाएं।

(iii) निजी अथवा पारिवारिक संकटकालीन परिस्थितियों के लिए अधिकारी की सेवा के दौरान ड्यूटी स्थान से भारत में आने और वापस जाने संबंधी अधिकतम दो बार वापसी हवाई यात्रा व्यय।

(iv) कतिपय शर्तों पर, भारत में किसी मान्यता प्राप्त शैक्षणिक संस्था में अध्ययन कर रहे 6 से 22 वर्ष की आयु वाले दो बच्चों को छुट्टी के दौरान अपने माता-पिता के पास जाने के लिए न्यूनतम किराये वाली श्रेणी से वार्षिक हवाई किराया।

(v) कतिपय शर्तों पर, अधिकारी के विदेशों में तैनाती स्थान पर अध्ययन कर रहे 5 से 18 वर्ष की आयु के बीच वाले अधिकतम दो बच्चों के शिक्षा संबंधी व्यय को सरकार पूरा करती है।

(vi) विद्यमान अनुदेशों के अनुसार विदेश में तैनाती के लिए परिधान भत्ता।

(vii) निर्धारित नियमों के अनुसार अधिकारी और उसके परिवार के लिए स्वदेश छुट्टी यात्रा व्यय।

7. सेवा में नियुक्ति, स्थायीकरण और वरिष्ठता संबंधी शर्तें भारतीय विदेश सेवा (ख) (भर्ती संवर्ग), वरिष्ठता और पदोन्नति) नियम, 1964 के सभी उपबंधों और किन्हीं अन्य नियमों अथवा आदेशों जिन्हें सरकार बाद में बनाए, द्वारा भी शासित होंगी।

(घ) सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा

सशस्त्र सेना मुख्यालय लिपिक सेवा में निम्नलिखित ग्रेड हैं:—

उच्च श्रेणी ग्रेड रु० 1200-30-1560-द० रो०-40-2040

अवर श्रेणी ग्रेड रु० 950-20-1150-द० रो०-25-1500

उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड में पद अवर श्रेणी लिपिकों में से पदोन्नति द्वारा भरे जाते हैं। सीधी भर्ती केवल अवर श्रेणी ग्रेड में ही की जाती है।

2. अवर श्रेणी ग्रेड में भर्ती किए गए व्यक्ति दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे। यह अवधि सक्षम अधिकारी के विवेक पर बढ़ाई जा सकती है। इस अवधि में असंतोषजनक सेवा रिकार्ड के परिणामस्वरूप परिवीक्षाधीन व्यक्ति को सेवा से हटाया जा सकता है। परिवीक्षा की अवधि में उन्हें समय-समय पर यथानिर्धारित प्रशिक्षण लेना पड़ सकता है तथा परीक्षा भी पास करनी पड़ सकती है।

3. अवर श्रेणी लिपिक समय-समय पर लागू नियमों के अनुसार पुष्टिकरण तथा पदोन्नति के पात्र होंगे।

4. सशस्त्र सेना मुख्यालय में भर्ती किए गए अवर श्रेणी लिपिक, दिल्ली/नई दिल्ली स्थित सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्तर सेवा संगठनों के किसी कार्यालय में तैनात किए जाएंगे। परन्तु लोक-हित में भारत में कहीं भी उनकी तैनाती की जा सकती है।

5. छुट्टी चिकित्सा सहायता तथा सेवा की अन्य शर्ते वही है जो सशस्त्र सेना मुख्यालय तथा अन्तर सेवा संगठनों में नियुक्त अन्य लिपिक वर्गीय कर्मचारियों पर लागू होती हैं।

(ङ) संसदीय मामलों का विभाग

इस विभाग में निम्न श्रेणी लिपिकों के पदों का वेतनमान रु० 950–20–1150 द० रो–25–1500 है।

प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयन करके सेवा में नियुक्त उम्मीदवारों को दो वर्ष की अवधि के लिए परिवीक्षाधीन रखा जाएगा।

(च) केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा निर्वाचन आयोग

1. आयोग में निम्न श्रेणी लिपिक के पद का वेतनमान रु० 950-20-1150–द० रो०–25–1500।

2. केन्द्रीय सतर्कता आयोग तथा निर्वाचन आयोग में निम्न श्रेणी लिपिकों के पद के० स० लि० से० में शामिल नहीं हैं।

3. नियुक्त किए गए व्यक्ति 2 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन होंगे।

4. केन्द्रीय सतर्कता आयोग में 5 वर्ष तथा निर्वाचन आयोग में 8 वर्ष की सेवा पूरी करने के पश्चात् वे उच्च श्रेणी लिपिक ग्रेड में पदोन्नति के लिए पात्र होंगे।

मंत्रिमण्डल सचिवालय

नई दिल्ली, दिनांक 26 अप्रैल 1989

संकल्प

सं० ए०–11013/6/89–प्रशा० I—सरकार ने एक "वित्तीय नीति संबंधी समिति" का गठन करने का निर्णय लिया है जिसमें निम्नलिखित होंगे :—

(i) श्री एस० वेंकिटरमणन — अध्यक्ष

(ii) डा० विजय केलकर — सदस्य

2. यह समिति :

(क) नरसिंहम् और आबिद हुसैन समितियों की रिपोर्टों पर की गई कार्यवाहियों की स्थिति पर विचार करेगी और अधिक कुशल, उत्पादक और आधुनिक अर्थव्यवस्था के विकास में सहायता करने के लिए आगे क्या कदम उठाए जाएं, इसका सुझाव देगी और इसके साथ-साथ उपर्युक्त लक्ष्यों की शीघ्र प्राप्ति के लिए विभिन्न आवश्यक नीति संबंधी, कार्यविधिक तथा अन्य उपायों की समीक्षा करेगी ;

(ख) सार्वजनिक क्षेत्र के संबंध में अर्जुन सेनगुप्ता समिति पर की गई कार्रवाई तथा आरम्भ किए गए विभिन्न कार्यविधिक सुधारों की स्थिति की समीक्षा करेगी तथा उसके सुधार के लिए उपाय सुझाएगी;

(ग) भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से ऋण प्रणाली तथा बैंकिंग क्षेत्र में सुधार और दक्षता के संबंध में पहले ही उठाए गए विभिन्न कदमों की समीक्षा करेगी ;

(घ) जब भी उचित समझेगी, केन्द्र द्वारा वित्त-पोषित खर्च की मानीटरिंग, पर्यवेक्षण और मूल्यांकन के उपायों की समीक्षा करेगी और इस संबंध में सुझाव देगी तथा विभिन्न मंत्रालयों में योजना और गैर-योजना दोनों तरह के खर्चों पर अत्याधिक प्रभावशाली नियंत्रण स्थापित करने के साधनों का पता लगाएगी।

(ङ) उन्नत कर-संग्रह तथा अर्थ-व्यवस्था की उच्च लागतों में कमी करने के लक्ष्यों को प्राप्त करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कराधान के सुधारों के संबंध में की गई कार्रवाई को अद्यतन करेगी।

(च) अन्य उन मामलों पर भी विचार करेगी जो प्रधान मंत्री द्वारा समय-समय पर भेजे जाएंगे।

3. उपर्युक्त दायित्वों को पूरा करने के लिए यह समिति भारत सरकार के सम्बद्ध मंत्रालयों/विभागों और इसकी एजेंसियों में उपलब्ध सूचना और विशेषज्ञता प्राप्त करेगी और यदि आवश्यक होगा तो ऐसे अध्ययनों को प्रायोजित करेगी।

4. (क) यह समिति सलाहकार समिति के रूप में होगी और अपनी रिपोर्ट प्रधान मंत्री को प्रस्तुत करेगी।

(ख) यह समिति, जब कभी आवश्यक हुआ तो महत्व के मामलों पर अंतरिम रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी।

(ग) यह समिति 31 दिसम्बर, 1989 तक अंतिम रिपोर्ट प्रस्तुत कर देगी।

5. यह समिति जनमत निर्धारित करने और इसके समक्ष भेजे गए विभिन्न मामलों पर विशेषज्ञ सुझाव प्राप्त करने के लिए अपने कार्य-विधिक नियम बनाएगी।

6. इस समिति को मंत्रिमण्डल सचिवालय द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी और इस समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति भारत सरकार के मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य सम्बन्धितों को भेजी जाए।

दीपक दासगुप्ता, संयुक्त सचिव

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय

(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 28 अप्रैल 1989

संकल्प

सं० 118/1/89-एवीडी०–I—भारत सरकार ने अपने दिनांक 22 मार्च, 1988 के संकल्प संख्या 118/5/87-एवीडी०–I द्वारा, भारत सरकार के दिनांक 11 फरवरी, 1964 के संकल्प संख्या 24/7/64-एवी० डी० के पैरा 2 के अधीन अरुणाचल प्रदेश राज्य सरकार के लिए केन्द्रीय सतर्कता आयोग की अधिकारिता को एक वर्ष की अवधि के लिए अथवा उस समय तक के लिए जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अपना स्वयं का सतर्कता संगठन गठित करने के प्रबन्ध नहीं हो जाते, इनमें से जो भी पहले हो, तक बढ़ाए जाने सम्बन्धी एक अन्य धारा जोड़े जाने का निर्णय लिया था। ऊपर उल्लिखित संकल्प के माध्यम से यह भी निर्णय लिया गया था कि आयोग के पास उक्त राज्य सरकार के कर्मचारियों के बारे में उपर्युक्त उप पैरा (i) से (xiv) तक उल्लिखित सभी शक्तियां होंगी।

2. इस बात की संतुष्टि होने पर कि लोक हित में ऐसा करना अनिवार्य है, भारत सरकार ने अब यह निर्णय लिया है कि दिनांक 11 फरवरी, 1964 के ऊपर उल्लिखित संकल्प के पैरा 2 के अधीन धारा (x), 23 मार्च, 1989 से और एक वर्ष के लिए अथवा उस समय तक के लिए जब तक कि राज्य सरकार द्वारा अपना स्वयं का सतर्कता संगठन गठित करने के प्रबन्ध नहीं हो जाते, इनमें से जो भी पहले हो, लागू रहेगी।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि संकल्प की एक प्रति सभी राज्य सरकारों, भारत सरकार के सभी मंत्रालयों तथा केन्द्रीय सतर्कता आयोग आदि को भेजी जाए तथा यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

बी० सेन, संयुक्त सचिव

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

नई दिल्ली, दिनांक 26 अप्रैल 1989

संकल्प

सं० एफ० 11011/2/88–हि०का०क०—30 मार्च, 1985 के संकल्प सं० एफ० 11011/21/85–हि०का०क० द्वारा गठित आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग तथा बीमा सहित) की हिन्दी सलाहकार समिति का 30 मार्च, 1988 को कार्यकाल समाप्त होने पर, भारत सरकार ने आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग तथा बीमा सहित) की हिन्दी सलाहकार समिति का पुनर्गठन करने का निर्णय किया है। समिति का गठन, उसके कार्य आदि नीचे दिए अनुसार होंगे :—

I. संघठन

1. वित्त मंत्री	अध्यक्ष
2. वित्त राज्य मंत्री	उपाध्यक्ष
संसद सदस्य	
3. श्री कौसल्या राव, लोक सभा	सदस्य
4. श्री शान्ताराम पोतदुखे, लोक सभा	सदस्य
5. श्री एम० एल० कोल्लूर, राज्य सभा	सदस्य
6. रिक्त	सदस्य
संसदीय राजभाषा समिति के सदस्य	
7. श्री वी० तुलसीराम, संसद सदस्य, लोक सभा	सदस्य
8. श्री रत्नाकर पाण्डेय, संसद सदस्य, राज्य सभा	सदस्य
अन्य गैर-सरकारी सदस्य	
9. श्री के० के० श्रीवास्तव (भूतपूर्व सचिव, राजभाषा विभाग), 31–ए, श्री कृष्णपुरी, पटना (बिहार)	सदस्य
10. श्री बुध देव सिंह (भूतपूर्व मंत्री, खनन एवं सहकारिता), पटना (बिहार)	सदस्य
11. श्री पन्ना लाल शर्मा, सदस्य, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, एक्स–वाई–68, सरोजनी नगर, नई दिल्ली	सदस्य
12. रिक्त (अखिल भारतीय हिन्दी संस्थान के प्रतिनिधि)	सदस्य
सरकारी सदस्य	
13. वित्त सचिव	सदस्य
14. हिन्दी सलाहकार एवं सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
15. गवर्नर, भारतीय रिजर्व बैंक	सदस्य
16. अध्यक्ष, भारतीय जीवन बीमा निगम	सदस्य
17. अध्यक्ष, भारतीय साधारण बीमा निगम	सदस्य
18. अध्यक्ष, भारतीय बैंक संघ, बम्बई	सदस्य
19. अध्यक्ष, भारतीय यूनिट ट्रस्ट, बम्बई	सदस्य
20. अध्यक्ष, अधीनस्थ कार्यालयों की संयुक्त राजभाषा कार्यान्वयन समिति	सदस्य
21. आयुक्त, राष्ट्रीय बचत संगठन, नागपुर	सदस्य
22. निदेशक, प्रवर्तन निदेशालय, नई दिल्ली	सदस्य
23. अपर सचिव (बैंकिंग)	सदस्य
24. अपर सचिव (बीमा)	सदस्य
25. अपर सचिव (बजट)	सदस्य
26. अपर सचिव (प्रशासन), राजस्व विभाग	सदस्य
27. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग	सदस्य
28. संयुक्त सचिव (सी० एण्ड सी०)	सदस्य
29. संयुक्त सचिव (निवेश)	सदस्य
30. संयुक्त सचिव (प्रशासन)	सदस्य–सचिव

II. समिति के कार्य

यह समिति संबंधित विभाग के कामकाज में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग से संबंधित मामलों में सलाह देगी।

III. कार्यकाल

समिति के सदस्यों का कार्यकाल सामान्य रूप से समिति के गठन की तिथि से, निम्नलिखित बातों के अधीन, तीन वर्ष का होगा :

(i) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य नामित किए गए हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रह सकेंगे।

(ii) यदि कार्यकाल के बीच में स्थान रिक्त होता है तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेगा।

IV. सामान्य

(1) समिति अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित सदस्यों के रूप में नामित कर सकती है और समय–समय पर आवश्यकतानुसार अपनी बैठकों में विशेषज्ञों को भी आमंत्रित कर सकती है।

(2) समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा किन्तु समिति अपनी बैठकें किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है।

V. यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्ते

गैर सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में समय–समय पर भाग लेने के लिए भारत सरकार द्वारा समय–समय पर निश्चित दरों पर यात्रा तथा दैनिक भत्ते दिए जाएंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति निम्नलिखित को प्रचालित की जाए :—

राष्ट्रपति सचिवालय, प्रधान मंत्री का कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य मंत्रालय, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, योजना आयोग, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, निदेशक केन्द्रीय राजस्व लेखा परीक्षा, समिति के सभी सदस्य और भारत सरकार के सभी मंत्रालय तथा विभाग।

यह भी आदेश दिया जाता है कि आम जानकारी के लिए भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाए।

जगमोहन लाल बजाज, संयुक्त सचिव

विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय

(विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग)

नई दिल्ली-110016 दिनांक 23 मार्च 1989

संकल्प

सं० ई-11018/1/88-हिन्दी—विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के संकल्प सं० ई-11018/1/85-हिन्दी दिनांक 31 जुलाई, 1985 द्वारा गठित विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास विभाग की संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति का तीन वर्ष का कार्यकाल समाप्त होने पर, भारत सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा महासागर विकास विभाग की संयुक्त हिन्दी सलाहकार समिति को पुनर्गठन करने का निर्णय किया है। समिति का गठन, उसके कार्य, आदि नीचे दिये अनुसार होंगे :—

1. संघटन

1. विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री — अध्यक्ष

गैर-सरकारी सदस्य

संसदीय कार्य मंत्रालय द्वारा नामित संसद सदस्य

2. श्री सीता राम केसरी, संसद सदस्य (राज्य सभा) — सदस्य
3. श्री शंकर सिंह बघेला, संसद सदस्य (राज्य सभा) — सदस्य
4. श्री शांति धारीवाल, संसद सदस्य (लोक सभा) — सदस्य
5. श्री यश पाल सिंह, संसद सदस्य (लोक सभा) — सदस्य

संसदीय राजभाषा समिति द्वारा नामित संसद सदस्य

6. प्रोफेसर मनोरंजन हल्दर, संसद सदस्य (लोक सभा) — सदस्य
7. श्री चिन्तामणि जेना, संसद सदस्य (लोक सभा) — सदस्य

राजभाषा विभाग द्वारा नामित सदस्य

8. डा० उमाकान्त सिन्हा, वनस्पति विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली — सदस्य
9. डा० काली नाथ शर्मा, सेवानिवृत्त प्रोफेसर, गोहाटी विश्वविद्यालय, गोहाटी — सदस्य

अन्य

10. डा० प्रेम कान्त टंडन, रीडर हिन्दी विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद — सदस्य
11. डा० विजयेन्द्र, स्नातक, भूतपूर्व अध्यक्ष, हिन्दी विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली — सदस्य
12. प्रो० लक्ष्मीनारायण दुबे, हिन्दी विभाग, डा० हरिसिंह गौर विश्वविद्यालय, सागर, (म० प्र०) — सदस्य
13. श्री बी० वी० महाजन, प्रधान, केन्द्रीय सचिवालय हिन्दी परिषद्, नई दिल्ली — सदस्य
14. प्रो० राम लाल परीख, अध्यक्ष, अखिल भारतीय हिन्दी संस्था संघ, 31 कोटला मार्ग, नई दिल्ली-1 — सदस्य

सरकारी सदस्य

15. सचिव, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग — सदस्य
16. सचिव, महासागर विकास विभाग — सदस्य
17. सचिव, वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग — सदस्य
18. सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग — सदस्य
19. सचिव, राजभाषा विभाग — सदस्य
20. अपर सचिव, वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान विभाग — सदस्य
21. संयुक्त सचिव, महासागर विकास विभाग — सदस्य
22. संयुक्त सचिव, जैव प्रौद्योगिकी विभाग — सदस्य
23. संयुक्त सचिव, राजभाषा विभाग — सदस्य
24. वित्त सलाहकार, विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग — सदस्य
25. वित्त सलाहकार, महासागर विकास विभाग — सदस्य
26. प्रमुख (प्रशा०) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् — सदस्य
27. प्रमुख (वित्त), वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद् — सदस्य
28. भारत के महासर्वेक्षक — सदस्य
29. महा निदेशक, भारत मौसम विज्ञान विभाग — सदस्य
30. निदेशक, राष्ट्रीय एटलस तथा थिमैटिक मानचित्रण संगठन — सदस्य
31. प्रबन्ध निदेशक, नेशनल रिसर्च डिवेलपमेंट कार्पोरेशन — सदस्य
32. प्रबन्ध निदेशक, सैन्ट्रल इलैक्ट्रानिक्स लिमिटेड, — सदस्य
33. संयुक्त सचिव (प्रशा०), विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग — सदस्य-सचिव

2. समिति के कार्य

यह समिति संबंधित विभागों के कामकाज में हिन्दी के उत्तरोत्तर प्रयोग से संबंधित मामलों और सम्बद्ध विषयों में सलाह देगी।

3. कार्यकाल

समिति के सदस्यों का कार्यकाल सामान्य रूप से समिति के गठन की तिथि से, निम्नलिखित बातों के अधीन, तीन वर्ष का होगा :

(क) जो संसद सदस्य समिति के सदस्य हैं, वे संसद सदस्य न रहने पर इस समिति के सदस्य नहीं रह सकेंगे।

(ख) समिति के पदेन सदस्य अपने पद पर कार्य करते रहने तक समिति के सदस्य होंगे।

(ग) यदि किसी सदस्य की मृत्यु या त्यागपत्र के कारण स्थान रिक्त होता है तो उस स्थान पर नियुक्त सदस्य तीन वर्ष के कार्यकाल की शेष अवधि के लिए ही सदस्य रहेगा।

4. सामान्य

(1) समिति अतिरिक्त सदस्यों को सहयोजित सदस्यों के रूप में नामित कर सकती है और समय समय पर आवश्यकतानुसार अपनी बैठकों में विशेषज्ञों को भी आमंत्रित कर सकती है।

(2) समिति का मुख्यालय नई दिल्ली में होगा किन्तु समिति अपनी बैठकें आवश्यकता पड़ने पर किसी अन्य स्थान पर भी कर सकती है।

5. यात्रा भत्ते तथा अन्य भत्ते

गैर सरकारी सदस्यों को समिति की बैठकों में समय-समय पर भाग लेने के लिए भारत सरकार द्वारा समय-समय पर निश्चित दरों पर यात्रा तथा दैनिक भत्ते दिए जाएंगे।

आदेश

आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प की प्रति समिति के सभी सदस्यों, सभी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों, प्रधान मंत्री कार्यालय, मंत्रिमण्डल सचिवालय, संसदीय कार्य विभाग, लोक सभा सचिवालय, राज्य सभा सचिवालय, राष्ट्रपति सचिवालय, भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक और भारत सरकार के सभी मंत्रालयों/विभागों को भेजी जाए।

यह भी आदेश दिया जाता है कि यह संकल्प आम जानकारी के लिये भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया जाये।

धर्मवीर सहगल, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

RULES FOR CLERK'S GRADE EXAMINATION, 1989

New Delhi-1, the 27th May 1989

No. 9/2/89-CS.II.—The Rules for Competitive Examination to be held by the Staff Selection Commission, department of Personnel and Training, in 1989 for the purpose of filling temporary vacancies in the following service/posts (and for such other service posts as may be included by the Commission in their Advertisement inviting applications for the Examination) are published for general information :—

(i) Indian Foreign Service (B) Grade VI.

(ii) Railway Board Secretariat Clerical Service-Grade-II.

(iii) Central Secretariat Clerical Service-Lower Division Grade.

(iv) Armed Forces Headquarters Clerical Service-Lower Division Grade.

(v) Posts of Lower Division Clerks in the Election Commission of India.

(vi) Posts of Lower Division Clerks in the Ministry of Parliamentary Affairs, New Delhi.

(vii) Posts of Lower Division Clerks in the Central Vigilance Commission.

Preferences in respect of services/posts mentioned above ill be invited by the Commission from the candidate at e time of admitting them to the typewriting test after result the written examination.

2. Reservation will be made for candidates who are exrvicemen, for candidates belonging to the Scheduled Castes, heduled Tribes and for physically handicapped (the deaf id orthopaedically handicapped persons only) persons in spect of vacancies as may be fixed by the Government of dia.

3. (A) "An 'ex-servicemen' means a person, who has servin any rank whether as a combatant or non-combatant in Regular Army, Navy and Air Force of the Indian Union d Regular Army, Navy and

(a) Who retired from such service after earning his/her pension; or

(b) who has been released from such service on medical grounds attributable to military service or circumstances beyond his control and awarded medical or other disability pension; or

(c) who has been released, otherwise than on his own request, from such service as a result of reduction in establishment;

(d) who has been released from such service after completing the specific period of engagements, otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency, and has been given a gratuity; and includes personnel of the Territorial Army of the following categories, namely :—

(i) pension holders for continuous embodied service;

(ii) persons with disability attributable to military service; and

(iii) gallantry award winners."

(B) Scheduled Castes, Scheduled Tribes mean any of the Castes, Tribes mentioned in the Constitution (Scheduled Castes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Tribes) Order, 1950, the Constitution (Scheduled Castes) 'Union Territories) Order, 1951, the Constitution (Scheduled Tribes (Union Territories) Order, 1951 as amended by the Schedule ed Castes and Scheduled Tribes Lists (Modification) Order, 1956, the Bombay Reorganisation Act, 1960, the Punjab Reorganisation Act, 1966, the State of Himachal Pradesh Act, 1970 and the North Eastern Areas (Reorganisation) Act 1971, the Constitution (Jammu and Kashmir) Scheduled Castes Order, 1956 and the Constitution (Andaman and Nicobar Islands) Scheduled Tribes Order, 1959, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Castes, Order, 1962, the Constitution (Dadra and Nagar Haveli) Scheduled Tribes Order, 1962, the Constitution (Pondicherry) Scheduled Castes Order, 1964, the Constitution (Uttar Pradesh) Scheduled Tribes Order, 1967, The Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Castes Order, 1968, the Constitution (Goa, Daman & Diu) Scheduled Tribes Order, 1968, the Constitution (Nagaland) Scheduled Tribes Order, 1970, the Scheduled Castes and Scheduled Tribes Order (Amendment) Act, 1976, the Constitution (Sikkim) Scheduled Castes, Order, 1978 and the Constitution (Sikkim) Scheduled Tribes Order, 1978.

(C) Physically handicapped person means a persons belonging to any of the following categories :—

(a) *The Deaf* :—The deaf are those in whom the sense of hearing is non-functional for ordinary purposes of life. They do not hear and understand sound at all even with amplified speech. The cases included in this category will be those having hearing loss more than 90 decibels in the better ear (profound impairment) of total loss of hearing in both ears.

(b) *The Orthopaedically handicapped*.—The orthopaedically handicapped are those who have a physical defect or deformity which causes interference with the normal functioning of the bones, muscles & Joints.

The examination will be conducted by the staff selection commission in the manner prescribed in appendix I to the Rules. The date on which and the places at which the examination will be held shall be fixed by the commission.

4. A candidate must be either:

(a) a citizen of India, or

(b) a subject of Nepal, or;

(c) a Tibetan refugee who came over to India, before

(d) a Tibetan refugee of came over to India, before the 1st January, 1962, with the intention of permanently settling in India; or

(e) a person of Indian Origin who has migrated from Pakistan, Burma, Sirlanka and East African conutries of Kenya, Uganda, the United Reublic of Tanzania (formerly Tanganyika and Zanzibar), Zambia, Malawi, Zario, Ethiopio and Vietnam with the intention of permanently settling in India.

(1) Provided that a candidate belonging to categories (b), (c), (d) and (e) above shall be a person in whose favour a certificate of aligibility has been issued by the Government of India.

(2) Provided further that candidates belonging to categories (b), (c) and (d) above shall not be eligible for appointment to the Indian Foreign Service (B) Grade VI A Candidate in whose case a certificate of eligiblity is necessary may be admitted to the examination but the offer of appointment will be given only after the necessary eligi-

bility certificate has been issued to him by the Ministry Department, which is administratively concerned with the post where the candidate is likely to be appointed.

5. (a) A candidate for this examination must have attained the age of 18 years and must not have attained the age of 25 years on 1st August, 1989 i.e. he/she must have been born not earlier than 2nd August, 1964 and not later than 1st August, 1971;

(b) Ex-servicemen fulfilling the conditions laid down in para 3(A) above shall be allowed to deduct military service from their actual age and such resultant age should not exceed prescribed age limit by more than three years.

Candidates admitted to the examination under this age concession will be eligible to compete for all the vacancies whether reserved or not for ex-servicemen.

NOTE: 1—Ex-servicemen who have already joined Government job in Civil Side after availing of the benefits given to them as ex-servicemen for their re-employment are not eligible to the age concession.

NOTE: 2—The period of 'Call up Service' of an ex-serviceman in the Armed Forces shall also be treated as service/concerned in the Armed Forces for purpose of Rule 5(b) above.

NOTE: 3—For any servicemen of the Armed Forces of the Union to be treated as Ex-servicemen for the purpose of securing the benefits of reservation, he must have already acquired, at the relevant time of submitting his application for the post/service, the status of ex-serviceman and/or is in a position to establish his acquired entitlement by documentary evidence from the competent authority that he would be released/discharged from the Armed Forces within the stipulated period of one year on completion of his assignmitted to leave the uniforms until they complete the specified purpose).

EXPLANATION:

The persons serving in the Armed Forces of the Union, who on ratirement from service, would come under the category of 'Ex-servicemen' may be permitted to apply for re-employment *one year* before the completion of the specified terms of engagements and avail themselves of all concessions available to ex-servicemen but shall not be permitted to leave the uniforms until they complete the specified term of engagement in the Armed Forces of the Union.

(c) The upper age limit all these cases will be further relaxable :—

(i) Upto a maximum of five years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe.

(ii) Upto a maximum of three years if a candidate is a bonafide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iii) Upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Schedule Caste or a Scheduled Tribe and is also a bonafide displaced person from erstwhile East Pakistan (now Bangla Desh) and had migrated to India during the period between 1st January, 1964 and 25th March, 1971;

(iv) Upto a maximum of three years if a candidate is a bonafide Displaced person from the erstwhile West Pakistan (now Pakistan) who migrated to India during the period from 1st January, 1971 to 31st March, 1973.

(v) Upto a omaximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or Scheduled Tribe and is also a bonafide displayed person from the erstwhile West Pakistan (now Pakistan) who migrated to India during the period from 1st January, 1971 to 31st March, 1973;

(vi) Upto a maximum of three years if a candidate is a bonafide repatriate of prospective repatriate of Indian origin from Sri Lanka and has migrated to India on or 1st November, 1964 or is to migrate to India under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(vii) Upto a maximum of eight years if a candidate belongs to a Scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bona fide repatriate or a prospective repatriate of Indian Origin from Sri Lanka and has migrated to India on or after 1st November, 1964 under the Indo-Ceylon Agreement of October, 1964;

(viii) Upto a maximum of three years if a candidate is of Indian Origin and has migrated from Kenya, Uganda or the United Republic of Tanzania;

(ix) Upto a maximum of three years if a candidate is a bonafide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(x) Upto a maixmum of eight years if a candidate belongs to a scheduled Caste or a Scheduled Tribe and is also a bonafide repatriate of Indian origin from Burma and has migrated to India on or after 1st June, 1963;

(xi) Upto a maximum of three years in the case of Defence Services Personnel disable in operations during hostilities with any foreign country or in a disturbed area, or in peace time, and released as a consequence thereof;

(xii) Upto a maximum of eight years in the case of Defence Services Personnel disabled in operation during hostilities with any foreign country or in a disturbed area or in peace time and released as a consequence thereof and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xiii) Upto a maximum of three years in the case of Border Security Force Personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities of 1971 and released as a consequence thereof;

(xiv) Upto a maximum of eight years in the case of Border Security Force Personnel disabled in operations during Indo-Pak hostilities in 1971 and released as a consequence thereof and who belong to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes;

(xv) Upto a maximum of three years if a candidate is a bonafide repatriate of Indian origin (Indian Passport holder as also a candidate holding emergency certified issued to him by the Indian Embassy in Vietnam) and who arrived in India from Vietnam not earlier than July, 1975;

(xvi) Upto a maximum of ten years if the candidate is a physically handicapped person, (for candidates belonging to SC or ST) who are physically handicapped the maximum relaxation of ten years permissible for physically handicapped persons shall be in addition to the age relaxation provided in terms of Column (i);

(xvii) Upto the age of 35 years (upto 40 years of members of Scheduled Castes/Scheduled Tribes) in the case of widows, divorced women and women judicially separted from their husbands, who are not remarried;

(xviii) Upper age limit is relaxable upto a maximum of six years for those persons who have ordinarily resided in the state of Assam during the period from 1st January, 1980 t 15toh August, 1985. This is subject to the production of a certificate from (a) the District Magistrate within whose jurisdiction he/she ordinarily resided or (b) any other authority designated in this behalf by the Government of Assam.

(d) The upper age limit will be relaxable upto the age of 35 years in respect of persons who have been requlary appointed as Clerks/Assistant Compilers/Storekeepers in the various Departments/Offices of the Government of India and in the office of the Election Commission, and have rendered not less than 3 years continuous service as Clerks as on 1-8-1989 and who continue to be so employed.

Provided that the above age relaxation will not be admissible to persons appointed as Clerks in the Ministries/Departments and Attached Offices participating in (i) Central Secretariat Clerical Service; (ii) Indian Foreign Service (B); (iii) Railway Board Secretariat Clerical Service and to persons who are ex-servicemen competing at the examination for vacancies reserved for ex-servicemen.

(e) The upper age limit will be relaxable upto the age of 35 years in respect of persons who have been employed as Hindi Clerks/Hindi Typists in the various Ministries Deartments and Attached Office participating in the Central secretariat Clerical Service, and have rendered not less than 3 years continuous service as Hindi Clerks/Hindi Typists on 1.8.1989 and who continue to be so employed.

Provided that candidates admitted to the Examination under this age concession shall be elible to compete for only vacancies in the Central Secretariat Clerical Service.

(f) The upper age limit will be relaxable upto 45 years in respect of service clerks in the last years of their clour service in the Armed Forces, i.e. those who are due for release from the Army during the period of 2nd August. 1989 to 1st August. 1990.

Such candidates are not entitled to any concession In fee

Provided that candidates admitted to the examination under this age concession will be eligible to compete only for vacancles in armed forces headquarters and Inter-Services Organisation, which are not reserved for ex-servicemen.

(g) There will be no upper age limit for Telephone Operators who are employed in the Ministry of External Affairs as on 1-8-1989 and who continue to be so employed.

(h) Upper age limit is also relaxable upto 35 years for the staff Car Drivers who are educationally qualified for appointment to the post of LDCs and who have not rendered less than 3 years of continuous service in the grade, in accordance with D.P. & A.R.'s O.M. No. 22011/15/81-Estt.(D) dated 4-7-1983;

NOTE 1 : Services rendered by R.M.S. Sorters employed in Subordinate office of Postal Department shall be treated as service rendered in the grade of Clerks for purpose of Rules 5(d) above.

NOTE 2 : The candidature of a person who is admitted to the examination under the age concession mentioned in Rule 5(c). Rule 5(d) and Rule 5(g) above, is liable to be cancelled if after submitting his application, he resigns from service or his services are terminated by this Department, either before or after taking the examination. He will, however, continue to be eligible if he is retrenched from the service or post after submitting his application.

NOTE 3 : A Clerk who is on deputation to an ex-cadre post with the approval of the competent authority will be eligible to be admitted to the examination

NOTE 4 : Any permanent or temporary Telephone Operator working in the Ministry of External Affairs shall be eligible to appear at the examination provided that no Telephone Operator shall be allowed to avail of more than two chances to qualify in the examination.

Telephone Operators, who are on deputation to other ex-cadre posts with the approval of the competent authority shall be eligible to be admitted to the examination if otherwise eligible. This also applies to a person who has been appointed to another ex-cadre post or to another service on transfer, if he/she continues to have lien on the post of Telephone Operator for the time being.

NOTE 5 : The examination will be qualifying and not competitive so far as persons falling under category (g) above of this rule are concerned, they will not be required to appear at the type-writing test forming part of this examination. They shall have to pass a periodical typewriting test held by this Commission, if not already passed, within a period of one year from the date of their appointment as a Lower Division Clerk, failing which no annual increment will be allowed to them until they have passed the said test.

Telephone Operator recommended by the Commission shall be inducted only in I.F.S. (B) Grade VI.

SAVE AS PROVIDED ABOVE, THE AGE LIMITS PRESCRIBED CAN IN NO CASE BE RELAXED AGE CONCESSION IS *NOT* ADMISSIBLE TO THE 'SONS AND DAUGHTERS OF EX-SERVICEMEN' AND PERSONS BELONGING TO 'BACKWARD CLASSES.'

6. Candidates must have passed the Matriculation Examination as on 1-8-1989 of any University incorporated by an act of the Central or State Legislature in India or an examination held by a State Education Board at the end of the Secondary School, High School, or any other certificate which is accepted by the Government of that State/Government of India as equivalent to matriculation certificate for entry into services.

NOTE 1 : A candidate who has appeared at an examination, the passing of which would render him educationally qualified for the Commission's examination but has not been informed of the result as also a candidate who intends to appear at such a qualifying examination will not be eligible for admission to the Commission's examination.

NOTE 2 : In exceptional cases, the Central Government may treat a candidate, who does not possess any of the qualifications prescribed in this rule as educationally qualified provided that he possesses qualifications, the standard of which in the opinion of that Government justfied his admission to the examination.

7. No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to service.

Provided that Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

(ii) A person married to a foreign national shall not be eligible for appointment to the Indian Foreign Services (B) — Grade VI.

8. A candidate already in Government service whether in a permanent or temporary capacity may apply direct for appearing at the examination but will have to send to the Commission a 'No Objection Certificate' from his office before being allowed to take the Typewriting Test.

9. A candidate must be in good mental and bodily health and free from any physical defect likely to interfere with the efficient discharge of his duties as an officer of the service. A candidate who after such medical examination as may be prescribed by the competent authority, is found not to satisfy these requirements, will not be appointed. Only such candidates as are likely to be considered for appointment will be medically examined.

NOTE : In the case of the disabled ex-Defence Services Personnel, a certificate of fitness granted by the Demobilisation Medical Board of the Defence Services will be considered adequate for the purpose of appointment.

10. The decision of the Commission as to the eligibility or otherwise of a candidate for admission to the examination shall be final.

11. No candidate will be admitted to the examination unless he/she holds a certificate of admission from the Commission.

12. Candidates except ex-servicemen released from the Armed Forces and those who are granted remission of fee vide Commission's advertisement must pay the fee prescribed therein.

13. Any attempt on the part of a candidate to obtain support for his candidature by any means may disqualify him for admission.

14. A candidate who is or has been declared by the Commission to be guilty of : —

(i) Obtaining support for his candidature by any means, or

(ii) Impersonating, or

(iii) Procuring impersonation by any person, or

(iv) Submitting fabricated documents or documents which have been tampered with, or

(v) Making statements which are incorrect or false or supressing materials information, or

(vi) Resorting to any other irregular or improper means in connection with his candidature, for the examination, or

(vii) Writing irrelevant matters including obscene languages or pornographic matter in the script, or

(viii) Using unfair means in the examination hall, or

(ix) Misbehaving in any other manner in the examination hall, or

(x) Harrassing or doing bodily harm to the staff employed by the Commission for the conduct of their examination, or

(xi) Violating any of the instructions issued to candidates alongwith their Admission Certificates permitting them to take the examination, or

(xii) Attempting to commit, or as the case may be abetting the Commission of all or any of the acts specified in the foregoing clauses, or may, in addition to rendering himself liable to criminal prosecution, be liable :—

(a) to be disqualified by the Commission from the examination for which he is a candidate, or

(b) to be debarred either permanently or for a specified period—

(i) by the Commission from any examination or selection held by them;

(ii) by the Central Government from any employment under them; and

(c) to disciplinary action under appropriate rules, if he is already in service under Government.

15. After the examination, the candidates competing for the services posts mentioned in para 1 who qualify at the typewriting test or are exempted therefrom will be arranged by the Commission in the order of merit as disclosed, by the aggregate marks finally awarded to each candidate at the written examination; and in that order so many candidates as are found by the Commission to be qualified shall be recommended for appointment upto the number of unreserved vacancies decided to be filled on the basis of results of the examination.

Provided that the candidate belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or Ex-servicemen or Physically Handicapped may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes/Scheduled Tribes or Ex-servicemen and the Physically Handicapped cannot be filled on the basis of General Standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the reserved quota, subject to the fitness of these candidates for selection to the service, irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

Provided further that ex-servicemen belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes or Physically Handicapped may, to the extent the number of vacancies reserved for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes and the Physically Handicapped can not be filled on the basis of the general standard, be recommended by the Commission by a relaxed standard to make up the deficiency in the quota reserved for them out of the quota of vacancies reserved for ex-servicemen subject to the fitness of these candidates for selection to the Service irrespective of their ranks in the order of merit at the examination.

16. Due consideration will be given at the time of making appointments on the basis of results of the examination to the preferences expressed by a candidate for various services/posts at the time of his admission to the typewriting test.

17. The form and manner of communication of the result of the examination to individual candidates shall be decided by the Commission at its discretion, and the Commission will not enter into correspondence with them regarding result.

18. Success in the examination confers no right to appointment unless Government are satisfied after such enquiry, as may be considered necessary, that the candidate is suitable in all respects for appointment to the Service/post.

DR. RAVENDRA SINGH, Under Secy.

APPENDIX—I

The Examination will consist of two parts, viz. Part I Written Examination and Part II Typewriting Test.

Part I Written Examination :—The subjects of the written examination, the time allowed and the maximum marks for each test will be as follows :—

Paper No., Subject,	*Maximum marks*	*& Time allowed*
1. General Intelligence	50	Two hours
2. English Language	50	Two hours
3. Numerical Aptitude	50	Two hours
4. Clerical Aptitude	50	Two hours

NOTE : The questions in all four tests will be "Objective Multiple-Choice-Type" candidates will be required to qualify in each of the four tests separately. The Commission will have full discretion to fix the minimum qualifying marks in each of the four tests.

PART II Typewriting Test : The typewriting Test will consist of one paper on Running Matters of 10 minutes duration.

2. Only those candidates who qualify in all the four tests and attain at the written examination a minimum standard, as may be fixed by the Commission in their discretion, will be eligible to take the typewriting test, i.e. Part II of the scheme of examination.

Candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes or P.H. or Ex-servicemen may be summoned for the Typing Test by the Commission by applying relaxed standard if the Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these categories are not likely to be summoned for the Typing Test on the basis of the general standard in order to fill up the vacancies reserved for them.

3. Only such candidates as qualify at the Typing Test at a speed of not less than 30 words per minute in English or not less than 25 words per minute in Hindi will be eligible for being recommended for appointment in terms of Rule 15 or the Rules for the Examination (This does not apply in the case of Telephone Operators employed in the External Affairs).

NOTE 1 Candidates who have already passed one of the periodical Typewriting Tests in English or Hindi held by the Union Public Service Commission or the Secretariat Training School or the Institute of Secretarial Training and Management or Subordinate Services Commission or Staff Selection Commission at a speed of 30 words per minute in English or 25 words per minute in Hindi need not appear at the Typewriting Test in this examination. Such candidates must indicate their Roll Numbers and the date of the Type-writing Test which they have passed.

NOTE 2. A candidate who claims to be permanently unfit to pass the Typewriting Test because of a physical disability, may with the prior approval of the Chairman, Staff Selection Commission, be exempted from the requirement of appearing and qualifying at such test, provided such a candidate, when required to appear at the Typewriting Test, furnishes a certificate (in the prescribed form) to the Commission from the competent medical authority i.e. the Civil Surgeon, declaring him/her to be permanently unfit to pass the Typewriting Test because of a physical disability.

4. Candidates will be required to bring their own Typewriter for the Typewriting Test. A typewriter with the standard size roller will do for the test.

5. Candidates are allowed the option to take the type writing test in Hindi (in Devnagri Script) or in English.

6. Candidates desirous of exercising the option to take the Typewriting Test in Hindi (in Devanagri Script) should indicate their intention to do so in their application otherwise it would be presumed that he would take the Typewriting Test in Englih. The option once exercised will be final and no request for change of option will be entertained. No credit will be given for Typewriting Test taken in a language other than the one opted for by the candidates.

7. The syllabus for the written examination will be shown in the Schedule to this Appendix.

8. Candidates must write the Papers in their own hand. In no circumstances, they will be allowed the help of a scribe to write down answers for them.

9. The Commission has discretion to fix qualifying marks in any or all subjects of the examination.

SCHEDULE

SYLLABUS FOR THE SUBJECTS INCLUDED IN PART I—WRITTEN EXAMINATION

Syllabus

1. *General Intelligence* : The questions in this test will be based on understanding instructions, determining relationships, similarities, relevance drawing conclusion and similar intellectual functions.

2. *English Language* : Questions in this test will be set to assess the knowledge of English language its vocabulary, grammer, sentence structure, synonyms, antonyms, etc. There will also be a question on comprehension of a passage.

3. *Numerical Aptitude* : Questions will be designed to test the ability of arithmatical computation of whole numbers, decimals and fractions and relationship between numbers. The questions would be based on arithmatical concepts and relationship between numbers and not on complicated arithmatical computation.

4. *Clerical Aptitude* : This is designed to test candidate's perceptual accuracy and aptitude. This is the ability to notice similarities and differences between pairs of names and number. Questions in clerical aptitude will also assess in addition to perceptual accuracy and aptitude, ability to handle office routine work like filing, abbreviating, indexing etc.

APPENDIX-II

Brief particulars relating to services/posts to which recruitment is being made through this examination.

A. *Central Secretariat Clerical Service*

The Central Secretariat Clerical Service has two grades as follows

(i) Upper Division Grade—Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040.

(ii) Lower Division Grade—Rs. 950-20-1150-EB-25-1500.

2. Persons recruited to the Lower Division Grade will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the tests may result in the discharge of the probationer from service.

3. On the conclusion of the period of probation, Government may confirm the clerk on probation or, if his work or conduct has in the opinion of Government been unsatisfactory, he may either be discharged from service or his period of probation may be extended for such further period as Government may think fit.

4. Persons recruited to the Lower Division Grade will be posted to one of the Ministries/Office participating in the Central Secretariat Clerical Service Scheme. They may, however, at any time be transferred to any other Ministry or Office, participating in the Central Secretariat Clerical Service.

5. Persons recruited to the Lower Division Grade will be eligible for promotion to the Upper Division Grade in accordance with the rules in force from time to time in this behalf. Permanent or regularly appointed temporary Lower Division Clerks who have completed 5 years of approved and continuous service in the Lower Division Grade on the crucial date as specified by the Government in this behalf will be eligible to appear in the Upper Division Grade Limited Departmental Competitive Examination.

5. Persons recruited to the Lower Division Grade will be eligible to take the Grade 'D' Stenographers' Examination after rendering not less than two years approved and continuous service on the crucial date as specified by the Government in this behalf. The upper age limit for this examination is 50 years on the crucial date.

7. Persons recruited to the Lower Division Grade of the Central Secretariat Clerical Service in pursuance of their option for that service will not after such appointment, have any claim for transfer or appointment to the Indian Foreign Service (B) or the Railway Board Secretariat Clerical Service.

B. *Railway Board Secretariat Clerical Service*

The Service conditions of the Lower Division Clerks employed in the Ministry of Railways, so far as recruitment, training, promotion etc. are concerned, are regulated by the Railway Board Secretariat Clerical Service Rules, 1970 which are on lines of Central Secretariat Clerical Service Rules, 1962 as amended from time to time.

2. The Railway Board Clerical Service consists of the following two grades :—

(i) Upper Division Grade—Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040.

(ii) Lower Division Grade—Rs. 950-20-1150-EB-25-1500.

3. Direct recruitment is made in Lower Division Grade only. Persons recruited to Lower Division Grade will be on probation for a period of two years during which they will undergo such training and pass such departmental tests as may be prescribed by the Government. Failure to show sufficient progress in the course of training or to pass the test may result in their discharge from service.

4. Persons recruited to the Lower Division Grade will be eligible for promotion to the Upper Division Grade in accordance with the Rules in force from time to time in this behalf, permanent or regularly appointed Lower Division Clerks who have completed 5 years of approved and continuous service in the Lower Division Grade of Railway Board Secretariat Clerical Service on the crucial date as specified by the Government in this behalf will be eligible to appear in the Upper Division Grade Limited Departmental Competitive Examination of the Railway Board Secretariat Clerical Service.

5. Persons recruited to the Lower Division Grade will be eligible to appear in the Limited Departmental Competitive Examination for Grade 'D' of the Railway Board Secretariat Stenographers Service held by the Ministry of Railways after rendering not less than 2 years approved and continuous service on the crucial date as specified by the Government in this behalf. The upper age limit for this examination is 45 years on the crucial date.

6. The Railway Board Secretariat Clerical Service is confined to the Ministry of Railways and the Staff are not liable to transfer to other Ministries as in the Central Secretariat Clerical Service.

7. Officers of the Railway Board Secretariat Clerical Service recruited under those rules :—

(i) will be eligible for pensionary benefits; and

(ii) shall subscribe to the non-contributory state Railway Provident Fund under the rules of that fund as are applicable to Railway servants appointed on the date they join service.

8. The staff employed in the Ministry of Railways are entitled to the previlage of passes and previlage tickets orders on the same scale as are admissible to other Railway Staff.

9. As regards leave and other conditions of service, staff included in the Railway Board's Secretariat Clerical Service are treated in the same way as other Railway Staff but in the matter of medical facilities they will be governed by the rules applicable to other Central Government employees with headquarters at New Delhi.

C. Indian Foreign Service (B) Grade VI

The scale of pay : Rs. 950-20-1150-EB-25-1500.

Officers appointed to Grade VI of the Indian Foreign Service (B) are eligible for promotion to Grade V in the pay scale of Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040 on completion of eight years of service in the grade.

2. Officers of Grade V of the Indian Foreign Service (B) will in turn be eligible for appointment to Grade IV of the service in the pay scale of Rs. 1400-40-1600-50-2200-EB-60-2600 on completion of five years of service in the grade.

3. Officers of Grade VI of the Indian Foreign Service (S) will be eligible for promotion to Grade III of Stenographers' sub-cadre of the service in the pay scale of Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040 on completion of required number of years of service in the grade, on the basis of a Limited Departmental Examination.

4. Such officers of Grade VI, who are graduates, will be eligible for appointment to the Grade of Assistant in the sub-cadre of IFS (B) in the pay scale of Rs. 1400-40-1600-50-2300-EB-60-2600 on completion of required number of years of service in the grade through a Limited Departmental Examination.

5. Candidates appointed to the Indian Foreign Service (B) will be liable to serve in any post either at Headquarters, anywhere in India or abroad to which they may be posted by the controlling authority.

6. During service abroad IFS(B) officers, are granted foreign allowance in addition to their basic pay, at rates which may be sanctioned from time to time, depending upon the cost of living etc. of the countries concerned. In addition the following concessions are also admissible during service abroad, in accordance with the IFS (PLCA) Rules, 1961 as made applicable to IFS (B) officers :—

(i) Free furnished accommodation according to the scale prescribed by the Government;

(ii) Medical Facilities under Assisted Medical Attendance Scheme as amended from time to time;

(iii) Upto a maximum of 2 Single return air passages to India and back throughout the officer's entire service for reasons of personal or family emergency;

(iv) Annual return air passage cheapest class for two children between the age of 6 and 22 studying in recognised educational Institutions in India to visit their parents during vacation subject to certain conditions;

(v) Expenditure on education of children upto a maximum of two children between the age of 5 and 18 studying at the place of posting abroad of the officer is met by the Government subject to certain conditions;

(vi) Outfit allowances for posting abroad as per existing instructions.

(vii) Home Leave Passage for officers and their families in accordance with the prescribed rules.

7. The conditions for appointment, confirmation and seniority in the service will be governed by the relevant provisions of the Indian Foreign Service (B) Recruitment Cadre, Seniority and Promotion Rules, 1964, and also by any other rules or orders, which Government may hereafter make.

D. Armed Forces Headquarters Clerical Service

The Armed Forces Headquarters Clerical Service has two grades as follows :—

Upper Division Grade—Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040.
Lower Division Grade—Rs. 950-20-1150-EB-25-1500.

The posts in Upper Division Grade are filed by promotion from amongst Lower Division Clerks. Direct recruitment is made in the Lower Division Grade only.

2. Persons recruited to the Lower Division Grade will be on probation for two years, which period may be extended or curtailed at the discretion of the competent authority. Unsatisfactory record of service during this period may result in discharge of the probationer from service. During the period of probation they may be required to undergo such training and pass such tests as may be prescribed from time to time.

3. Lower Division Clerks will be eligible for confirmation and promotion in accordance with the rules in force from time to time.

4. Lower Division Clerks recruited to the AFHQ Clerical Service. will be posted to any office of the Armed Forces Headquarters and Inter-Services Organisations located in Delhi/New Delhi. They will however, be liable to be posted anywhere within India in the public interest.

5. Leave, Medical aid and other conditions of service will be same as applicable to other Ministerial staff employed to the AFHQ and Inter-Service Organisations.

E. Ministry of Parliamentary Affairs

The scale of pay for the posts of Lower Division Clerks in the Ministry is Rs. 950-20-1150-EB-25-1500.

Candidates appointed to the service by selection through the competitive examinaion shall be on probation for a period of two years.

Posts of Lower Division Clerks in the Ministry of Parliamentary Affairs are not included in C.S.S.

F. Centarl Vigilance Commission and Election Commission

1. The scale of pay for the Lower Division Clerk in the Commission is Rs. 950-20-1150-EB-25-1500.

2. The posts of Lower Division Clerks in the Central Vigilance Commission and the Election Commission are not included in the CSCS.

3. The persons appointed will be on probation for a period of two years.

4. They will be eligible for promotion to the grade of Upper Division Clerks after putting in five years service in case of Central Vigilance Commission and eight years service in the case of Election Commission.

CABINET SECRETARIAT

New Delhi, the 26th April 1989

RESOLUTION

No. A-11013/6/89-Admn.I.—The Government have decided to constitute a "Committe on Financial Policy" which shall comprise the following :—

(i) Shri S. Venkitaramanan—*Chairman*.

(ii) Dr. Vijay Kelkar—*Member*.

2. The Committee shall :

(a) consider the status of actions taken on the reports of Narasimham and Abid Hussain Committees and suggest further steps to help in the evolution of a more efficient, productive and modern economy and,

inter-alia, review the various policy, procedural and other measures needed to be carried out to make for speedy attainment of the above goals;

(b) review the action taken in regard to Arjun Sengupta Committee on Public Sector, the status of various procedural improvements that have been initiated and suggest measures for improvement thereon;

(c) review, in consultation with RBI, various steps taken already in regard to the improvement and efficiency of the credit system and the banking sector;

(d) review and suggest, as appropriate, measures for monitoring, supervision and evaluation of expenditure financed by the Centre and explore means of establishing more effective control on expenditure both in respect of plan and non-plan in various Ministries;

(e) update the action taken in regard to the reforms of direct and indirect taxation with a view to attaining the objectives of improved tax collection and reduction in the high costs of the economy; and

(f) consider such other matters as may be referred to it by the Prime Minister from time to time.

3. In carrying out the above responsibilities, the Committee may draw on information and expertise available in the relevant Ministries/Departments and agencies of the Government of India and sponsor such studies as may be necessary.

4. (a) The Committee shall be advisory in nature and will submit its report to the Prime Minister.

(b) The Committee shall submit interim reports on matters of importance as and when found necessary.

(c) The Committee shall submit final report not later than the 31st December, 1989.

5 The Committee shall devise its own rules of procedure for assessing public opinion and obtaining expert suggestions on various matters referred to it.

6. The Committee will be serviced by the Cabinet Secretariat and the headquarters of the Committee will be in New Delhi.

ORDER

ORDERED that the Resolution be published in the Gazette of India.

ORDERED also that a copy of the Resolution be communicated to the Ministries/Departments of the Government of India and all other concerned.

D. DAS GUPTA, Jt. Secy.

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES & PENSIONS

(DEPARTMENT OF PERSONNEL & TRAINING)

New Delhi, the 28th April 1989

No. 118/1/89-AVD.I.—The Government of India had decided vide its Resolution No. 118/5/87-AVD.I dated the 22nd March, 1988 to add another Clause under para 2 of the Government of India Resolution No. 24/7/64-AVD dated the 11th February, 1964, extending the jurisdiction of the Central Vigilance Commission to the State Government of Arunachal Pradesh for a period of one year or till such time as alternative arrangements are made by the State Government to set up their own vigilance organisation, whichever is earlier. It was also decided through the aove mentioned Resolution that the Commission will have all the powers mentioned in sub paras (i) to (xiv) above in respect of the employees of the said State Government.

2. On being satisfied that it is necessary in the public interest to do so, the Government of India have now decided that Clause (xv) under para 2 of the aforementioned Resolution dated the 11th February, 1964 shall continue to be in force for a further period of one year from 23rd March, 1989 or till such time as alternative arrangements are made by the State Government to set up their own vigilance organisation, whichever is earlier.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution may be communicated to all State Governments, all Ministries of the Government of India, the Central Vigilance Commission etc. and also that the Resolution be published in the Gazette of India.

B. SEN, Jt. Secy.

MINISTRY OF FINANCE

(DEPARTMENT OF ECONOMIC AFFAIRS)

New Delhi, the 26th April 1989

RESOLUTION

No. F. 11011 2/88-HIC.—Consequent on the expiry of the tenure on the 30th March, 1988 of Hindi Salahakar Samiti for the Department of Economic Affairs (including Banking & Insurance) by Resolution No. F.11011/21/85-HIC dated 30th March, 1985, the Government of India have decided to reconstitute the Hindi Salahkar Samiti for the Department of Economic Affairs (including Banking & Insurance). Its composition and the functions, etc. will be as under :—

I. *COMPOSITION*

Chairman

1. Finance Minister

Vice-Chairman

2. Minister of State in the Ministry of Finance

Members of Parliament

Members

3. Shri Chokka Rao, Lok Sabha
4. Shri Shantaram Potdukhe, Lok Sabha
5. Shri M. L. Kollur, Rajya Sabha
6. Vacant

Members of Parliamentary Committee on Official Languag

Members

7. Shri V. Tulsiram, M.P., Lok Sabha
8. Shri Ratnakar Pandey, M.P., Rajya Sabha

Other Non-Official Members

Members

9. Shri K. K. Shrivastava, (Ex-Secretary, Deptt. of Official Language), 31-A Shri Krishan Puri, *PATNA* (Bihar).
10. Shri Budh Dev Singh, (Ex-Minister, Mining & Co-operation), *PATNA* (Bihar)
11. Shri Panna Lal Sharma, Member, Kendriya Sachivalaya, Hindi Parishad, XY-68, Sarojini Nagar, New Delhi-23.
12. Vacant (Representative from All India Hindi Institution).

Official Members

Members

13. Finance Secretary,
14. Hindi Advisor & Secretary, Deptt. of Official Language.
15. Governor, Reserve Bank of India
16. Chairman, Life Insurance Corporation o
17. Chairman, General Insurance Corporation
18. Chairman, Indian Banks Association, Bo
19. Chairman, Unit Trust of India, Bombay
20. Chairman, Joint Official Language, Implementation Committee of Subordinate Offices
21. Commissioner, National Saving Organisation, Nagpur
22. Director, Enforcement Directorate, New Delhi

Members

23. Additional Secretary (Banking)
24. Additional Secretary (Insurance)
25. Additional Secretary (Budget)
26. Additional Secretary (Admn.), Deptt. of Revenue
27. Joint Secretary, Deptt. of Official Language
28. Joint Secretary (C. & C.)
29. Joint Secretary (Investment)

Memer-Secy.

30. Joint Secretary (Admn.)

II. *FUNCTIONS*

The Samiti shall advise the Department on matters relating to the progressive use of Hindi for Official purposes.

III. *TENURE*

The term of the Samiti will be three years from the date of its formation, provided that :—

(i) A member of Parliament nominated to the Samiti shall cease to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament; and

(ii) Members appointed against mid-term vacancies shall be for the remaining period of three years only.

IV. *GENERAL*

(i) The Committee may co-opt additional Members and invite experts to attend its meetings or appoint sub-committees, as may be deemed necessary; and

(ii) The headquarters of the Samiti shall be at New Delhi but it may hold its meetings at any other station also.

V. *Travelling & other allowance*

The non-official members will be paid travelling & daily allowances for attending the meetings of the Samiti at rates fixed by the Govt. of India from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to :—

President's Secretariat, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Ministry of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, Planning Commission, Comptroller & Auditor General of India, Director of Audit Central Revenues, all Members of Samiti and all Ministries and Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of ndia for General Information.

J. L. BAJAJ, Jt. Secy.

MINISTRY OF SCIENCE AND TECHNOLOGY
(DEPARTMENT OF SCIENCE AND TECHNOLOGY)

New Delhi-110016, the 23rd March 1989

RESOLUTION

No. E-11018/1/88-Hindi.—On completion of three years tenure of Joint Hindi Salahakar Samiti of Ministry of Science and Technology and Department of Ocean Development constituted by DST's Resolution No. E-11018/1/85-Hindi dated 31st July, 1985, the Government of India have decided to reconstitute the joint Hindi Salahakar Samiti of Ministry of Science and Technology and Department of Ocean Development. The composition, functions etc. of the Samiti shall be as under :—

I. *Composition*

Chairman

1. Minister of State for Science and Technology.

Un-official Members

M.Ps. nominated by Ministry of Parliamentary Affairs

Members

2. Shri Sita Ram Kesari, M.P. (Rajya Sabha).
3. Shri Shankar Singh Baghela, M.P. (Rajya Sabha).
4. Shri Shanti Dhariwal, M.P. (Lok Sabha).
5. Shri Yash Pal Singh, M.P. (Lok Sabha).

M.Ps nominated by Committee of Parliament on Official Language

Members

6. Prof. Manoranjan Halder, M.P. (Lok Sabha).
7. Shri Chintemani Jena, M.P. (Lok Sabha).

Members nominated by Department of Official Language

Members

8. Dr. Uma Kant Sinha, Department of Botany, University of Delhi.
9. Dr. Kali Nath Sharma, Retd. Professor, Guwahati University, Guwahati.

Others

Members

10. Dr. Prem Kant Tandon, Reader, Hindi Department, Allahabad University, Allahabad.
11. Dr. Vijayendra Sanatak, Ex. Head, Hindi Deptt., University of Delhi.
12. Prof. Lakshmi Narayan Dube, Hindi Department, Dr. Hari Singh Gaur University, Sagar (M.P.).

Members

13. Shri B. B. Mahajan, Pradhan, Kendriya Sachivalaya Hindi Parishad.
14. Prof. Ram Lal Parikh, President, Akhil Bhertiya Hindi Sanstha Sangh, 34, Kotla Marg, New Delhi.

Official Members

Members

15. Secretary, Department of Science and Technology.
16. Secretary, Department of Ocean Development.
17. Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.
18. Secretary, Department of Bio-Technology.
19. Secretary, Department of Official Language.
20. Additional Secretary, Department of Scientific and Industrial Research.
21. Joint Secretary, Department of Ocean Development.
22. Joint Secretary, Department of Bio-Technology.
23. Joint Secretary, Department of Official Language.
24. Financial Adviser, Department of Science and Technology.
25. Financial Adviser, Department of Ocean Development.
26. Chief (Admn.), Council of Scientific and Industrial Research.
27. Chief (Finance), Council of Scientific and Industrial Research.
28. Surveyor General of India, Survey of India.
29. Director-General, India Meteorological Department.
30. Director, National Atlas and Thematic Mapping Organisation.

Members

31. Managing Director,
National Research Development Corporation.

32. Managing Director,
Central Electronics Limited.

Member-Secretary

33. Joint Secretary (Admn.),
Department of Science and Technology.

II. *Functions*

This Samiti will advise the Departments concerned on matters relating to progressive use of Hindi for Official purposes and allied issues.

III. *Tenure*

The term of the Samiti will be three years from the date of its composition provided that :—

(a) A member, who is a Member of Parliament, ceases to be a member of the Samiti as soon as he ceases to be a Member of Parliament.

(b) Ex-officio members of the Samiti shall continue as members so long as they hold the office by virtue of which they are members of the Samiti.

(c) If a vacancy arises on the Samiti due to death or resignation of member, the member appointed in that capacity shall hold office for residual term.

IV. *General*

(i) The Samiti may nominate additional members as co-opted members and invite experts to attend its meeting as may be considered necessary.

(ii) The Headquarter of the Samiti shall be at New Delhi, but it may hold its meetings at any other station also.

V. *Travelling and other allowances*

The non-official members will be paid travelling and daily allowances for attending the meetings of the Samiti at rates fixed by the Government of India from time to time.

ORDER

ORDERED that a copy of this Resolution be communicated to all the members of the Samiti, all State Governments and Union Territory Administrations, Prime Minister's Office, Cabinet Secretariat, Department of Parliamentary Affairs, Lok Sabha Secretariat, Rajya Sabha Secretariat, President's Secretariat, Comptroller and Auditor General of India and all the Ministries/Departments of the Government of India.

ORDERED also that the Resolution be published in the Gazette of India for general information.

D. B. SEHGAL, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVERNMENT OF INDIA PRESS, FARIDABAD
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS DELHI, 1989